

▶▶ कृषि

▶▶ विश्लेषण


▶▶ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठ: 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/-रु.

फाल्गुन-चैत्र 2082-83, मार्च 2026



ई-ट्रांसमिशन

कस्टम ड्यूटी: रोक की हो छुट्टी



स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी कार्यक्रम

सचित्र झलक



उद्यमी सम्मान समारोह, अगरतला (त्रिपुरा)



VOICE OF

SELF RELIANT INDIA


SWADESHI

Patrika

स्वदेशी

पत्रिका

पढ़ें और पढ़ायें



वर्ष-34, अंक-3
फाल्गुन-चैत्र 2082-83 मार्च 2026

संपादक
अजेय भारती
सह-संपादक
अनिल तिवारी
पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित
कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011-26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ.
अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्प्यूटर्ड बाइन्डर्स
(प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32
से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**



तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा - पृष्ठ-06

ई-ट्रांसमिशन कस्टम
ड्यूटी पर रोक हटाने
का आ गया है समय

डॉ. अश्वनी महाजन



- 1 मुख्य पृष्ठ
- 2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 तकनीकी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: बदल रही है ज्ञान और नवाचार की प्रवृत्ति

..... डॉ. धनपत राम अग्रवाल

11 समय-समाज

दर्द में जीने से अच्छा है सुकून से मरने का फैसला

..... अनिल तिवारी

13 स्वदेशी

स्वदेशी मेले स्वदेशी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचने में सहायक

..... डॉ. जयप्रकाश मिश्र

15 आजकल

संघ द्वारा चलाए जा रहे पंच परिवर्तन कार्यक्रम से होगा समाज परिवर्तन

..... प्रहलाद सबनानी

17 पास-पड़ोस

चीन से सावधान रहने की अभी भी है दरकार

..... स्वदेशी संवाद

19 अंतर्राष्ट्रीय

नेपाल में सत्ता परिवर्तन: सकारात्मक सामरिक महत्व

..... विनोद जौहरी

21 ऊर्जा सुरक्षा

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत की रसोई गैस सुरक्षा पर बड़ा संकट

..... अजय कुमार

23 कृषि

उपज पर पौष्टिकता भी बचे

..... देविन्दर शर्मा

25 पर्यावरण

स्वच्छ पर्यावरण को व्यापक वृक्षारोपण की आवश्यकता है

..... विजय गर्ग

27 स्वदेशी गतिविधियाँ

राष्ट्रीय परिषद बैठक - 7, 8 मार्च 2026 (जयपुर, राजस्थान)

भारत के युवाओं के लिए उद्यमिता

वर्ष 2026 की वैश्विक आर्थिक स्थिति को देखते हुए, भारतीय युवाओं के लिए उद्यमिता अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार बन गई है। भारत वर्तमान में 1.45 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस परिदृश्य में, युवाओं के लिए उद्यमिता का 'मोड' पारंपरिक व्यापार से बदलकर "समस्या-समाधान और तकनीक-आधारित" होना चाहिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की 38वीं रैंक यह दर्शाती है कि हमारे युवाओं में बौद्धिक संपदा (एआई) बनाने की क्षमता है। अब समय आ गया है कि युवा केवल 'सर्विस प्रोवाइडर' न बनकर 'प्रोडक्ट क्रिएटर' बनें। एग्री-टेक, फिनटेक और डीप-टेक जैसे क्षेत्रों में भारतीय स्टार्टअप्स की वैश्विक मांग बढ़ रही है।

एक महत्वपूर्ण बदलाव "सस्टेनेबिलिटी" (स्थिरता) का है। विश्व अब 'ग्रीन इकोनॉमी' की ओर बढ़ रहा है। मिशन 'लाईफ' और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू करना न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि यह अरबों डॉलर के वैश्विक बाजार तक पहुंच भी प्रदान करता है।

आंकड़े बताते हैं कि 50 प्रतिशत नए स्टार्टअप अब इंदौर, जयपुर और कोच्चि जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों से आ रहे हैं। यह 'विकेंद्रीकृत मॉडल' सबसे सफल है, जहाँ युवा स्थानीय समस्याओं का समाधान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे- यूपीआई और ओएनडीसी) के माध्यम से कर रहे हैं।

निष्कर्षतः, भारतीय युवाओं का मंत्र "मेक इन इंडिया, फॉर द वर्ल्ड" होना चाहिए। उन्हें 'जॉब सीकर' के बजाय 'जॉब प्रोवाइडर' बनने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, जहाँ मुनाफा कमाने के साथ-साथ सामाजिक प्रभाव पैदा करना प्राथमिकता हो।

विजित कुमार, क्षेत्र मीडिया प्रमुख, पूर्वोत्तर भारत, स्वदेशी जागरण मंच

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली-110022

दूरभाष : 011-26184595 • ई-मेल:

swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क 'स्वदेशी पत्रिका' दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

यदि शुल्क जमा करने के उपरान्त भी आपकी पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

कहा-अनकहा



युवा पीढ़ी में जल प्रबंधन और संरक्षण के प्रति जागरूकता से भविष्य में देश की जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति, भारत



जब व्यक्ति स्वस्थ होते हैं तब परिवार मजबूत होता है, जब परिवार मजबूत होते हैं तब समाज समृद्ध होता है और जब समाज समृद्ध होता है तब राष्ट्र का उत्थान होता है। देश जैसे विकसित भारत की परिकल्पना की ओर बढ़ रहा है वैसे ही हमारा लक्ष्य स्वस्थ भारत के निर्माण का भी होना चाहिए।

सी.पी. राधाकृष्णन, उप-राष्ट्रपति, भारत



विश्व के भावी विकास के इंजन संभवतः भारत जैसे कम विकसित या विकासशील देश होंगे। इसलिए, भारत के साथ जुड़ना विकसित देशों के छात्रों को उनके भावी आजीविका में मदद करेगा।

पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत



इजरायल, अमरीका-ईरान संघर्ष भारत के लिए विशेष चिंता का विषय है। हम एक पड़ोसी क्षेत्र हैं, और पश्चिम एशिया की स्थिरता में हमारा स्पष्ट हित निहित है।

एस. जयशंकर, विदेश मंत्री, भारत


सही है आईडीबीआई के विनिवेश को रोकने की नीति

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण को लेकर बहस, चाहे वे औद्योगिक हों या सेवा उद्यम, कोई नई बात नहीं है। 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत के बाद से (जिसमें तीन मुख्य आयाम शामिल थे: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण) बैंकों के निजीकरण का मुद्दा हमेशा से ही एक बहुत ही विवादास्पद विषय रहा है। यही कारण है कि सभी सरकारों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजीकरण से दूर रखा है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश दो तरीकों से होता है – रणनीतिक बिक्री और बाजार-आधारित शेयर बिक्री। रणनीतिक बिक्री में अक्सर मूल्यांकन से जुड़ी समस्याएँ, बोली लगाने वालों की सीमित संख्या और पारदर्शिता की कमी के आरोप सामने आते हैं। इसके विपरीत, शेयर बाजार के जरिए किया जाने वाला विनिवेश ज्यादा पारदर्शी होता है, इसमें ज्यादा लोगों की भागीदारी होती है और इससे शेयरों का सही मूल्य तय हो पाता है। पिछले 11 वर्षों में, विनिवेश से होने वाली प्राप्ति लगभग 4.5 लाख करोड़ में से ज्यादातर बाजार बिक्री से ही हुई है, और सिर्फ 69000 करोड़ ही रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त हुआ, जो इस तरीके की ज्यादा प्रभावशीलता को दर्शाता है। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी संस्थाओं को बेचने का कोई इतिहास नहीं रहा है। फिर भी, अलग-अलग बैंकों के विलय के जरिए बैंकों की कुल संख्या में निश्चित रूप से कमी आई है। असल में, जहाँ कुछ समय पहले तक 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, वहीं अब उनकी संख्या घटकर सिर्फ 12 रह गई है। इसके अलावा एक और बैंक है, जिसका नाम आइडीबीआई बैंक है; इसमें हालाँकि केंद्र सरकार की शेयरहोल्डिंग 51 प्रतिशत से कम है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की भी इसमें बड़ी शेयरहोल्डिंग है, जिससे सरकार का कुल नियंत्रण लगभग 95 प्रतिशत हो जाता है। विशेष रूप से आइडीबीआई बैंक के मामले में, पिछले कुछ सालों से सरकार रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कदम बढ़ा रही थी, और इस संबंध में पहले प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, भारत सरकार ने अब इस बैंक के रणनीतिक विनिवेश को रोक दिया है। इस मुद्दे पर काफी बहस चल रही थी, और शायद यह किसी बैंक के निजीकरण का अपनी तरह का पहला मामला होता, जिसमें भारत सरकार और सरकारी संस्थाओं की शेयरधारिता काफी अधिक थी। क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जाना चाहिए, एक लंबी बहस है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से महत्वपूर्ण तर्क दिए जाते रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के आलोचकों के खासकर आइडीबीआई के मामले में अपने मजबूत तर्क हैं। लेकिन इस बहस में आगे बढ़ने से पहले, हमें आइडीबीआई बैंक के इतिहास पर नजर डालनी होगी, जो कुछ साल पहले यह एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, वहीं अब यह घाटे से उबर चुका है और एक मुनाफा कमाने वाली संस्था बन गया है। शुरुआत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आइडीबीआई) एक विकास बैंक था, जो एलपीजी नीतियों के प्रभाव में, अन्य विकास वित्तीय संस्थानों की तरह आइडीबीआई को भी बाद में एक वाणिज्यिक बैंक में बदल दिया गया।

हम समझते हैं कि भारत और दुनिया भर में निजी क्षेत्र के बैंकों के दिवालिया होने का एक इतिहास रहा है। लेकिन, ऐसा एक भी मामला नहीं है जहाँ कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक दिवालिया हुआ हो और जमाकर्ताओं का पैसा डूब गया हो। इसके अलावा, अगर कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक फेल भी हो जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो भी जमा राशि की पूरी गारंटी सरकार देती है, क्योंकि ये सरकारी बैंक होते हैं। इन बैंकों की यह अनोखी खासियत इन्हें सबसे भरोसेमंद बनाती है, और यहाँ कभी भी पैसे निकालने की होड़ नहीं मचती। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर के बैंकों पर लोगों का भरोसा आम जनता को अपनी बचत इन बैंकों में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देश में घरेलू बचत के महत्व को लेकर कोई संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि इससे देश में विदेशी संसाधनों की जरूरत कम हो जाती है। जब 1969 में पहली बार 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1980 में छह और बैंकों का, तो सरकार का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना था। यह देखते हुए कि कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, शिक्षा, निर्यात को बढ़ावा देना आदि प्राथमिक महत्व के क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से इन 'प्राथमिक क्षेत्रों' के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बहुत छोटे कर्जदारों को बहुत कम ब्याज दरों पर छोटे ऋणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की।

नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 'जीरो बैलेंस' वाले जन धन खाते खोले गए, जिससे वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ। अब तक, ऐसे 51 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनके माध्यम से न केवल गरीबों और आम लोगों की बैंकों तक पहुँच बनी है, बल्कि वे अपनी छोटी-छोटी बचत भी इनमें जमा कर सकते हैं। इन जन धन खातों के जरिए सरकार द्वारा 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' भी संभव हो पाया है, जो आधार और मोबाइल फोन से जुड़े हुए हैं। इन 51 करोड़ खातों में से केवल 1.4 करोड़ खाते ही निजी बैंकों ने खोले हैं। लेकिन, हमें यह समझना होगा कि आज जब जमा और कर्ज देने में निजी बैंकों का हिस्सा लगभग 36 प्रतिशत है, तब भी जन धन खातों में से 3 प्रतिशत से भी कम खाते ही निजी बैंकों ने खोले हैं। यही नहीं, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत छह करोड़ महिलाओं को दिए जाने वाले 90 प्रतिशत आजीविका ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के और उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी तरह, रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण देने का काम भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में, स्वाभाविक रूप से, निजी क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि ये बैंक वित्तीय समावेशन के दायित्व से मुक्त होते हैं। समझ सकते हैं कि सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंपना सही नीति नहीं हो सकती। तो भी सरकार शेयर बाजारों के माध्यम से यदि विनिवेश करती है तो उसके कारण वित्तीय समावेशन और लोकहित में कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। इसलिए आइडीबीआई बैंक का रणनीतिक विनिवेश, उसे निजी हाथों में सौंपने को रोका जाना एक सही नीति है।

ई-ट्रांसमिशन कस्टम ड्यूटी पर रोक हटाने का आ गया है समय




हम समझते हैं कि अमेरिका (और चीन) ने एआई के क्षेत्र में एकाधिकार बना लिया है, जो बिना किसी सीमा-शुल्क के पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हैं। अगर इन देशों को बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए एआई उत्पाद भेजने की और इजाजत दी गई, तो बाकी देशों को एआई से होने वाली टैक्स आय से हाथ धोना पड़ेगा; जबकि एआई, सीमा-पार होने वाले आर्थिक लेन-देन और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं दोनों पर ही हावी रहेगा।
— डॉ. अश्वनी महाजन

1998 में, डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की घोषणा को अपनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी न लगाने की प्रथा को जारी रखने पर सहमति जताई थी। हालाँकि, यह रोक अगली मंत्रिस्तरीय बैठक शुरू होने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान था। लेकिन डब्ल्यूटीओ की हर मंत्रिस्तरीय बैठक में इस रोक को अगली बैठक तक के लिए बढ़ाया जाता रहा; और पिछली यानी 13वीं मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस में भी यही हुआ। कुछ बहस के बाद, डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश इस रोक को आगे बढ़ाने पर एक बार फिर सहमत हो गए, और यह विस्तार 31 मार्च 2026 तक या अगली मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए मान्य किया गया। 14वीं मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा बहस के लिए फिर सामने आएगा।

हम समझते हैं कि डब्ल्यूटीओ में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर लगी रोक एक ऐसा प्रावधान है जो देशों को इंटरनेट के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने वाले डिजिटल उत्पादों पर टैरिफ लगाने से रोकता है। हालाँकि, यह रोक अस्थायी है और इस पर काफी विवाद है, खासकर विकासशील देशों की ओर से। भारत सहित कई विकासशील देश अलग-अलग कारणों से इस रोक का विरोध करते रहे हैं, लेकिन विकसित देशों के दबाव में यह रोक बदस्तूर जारी रही।

खास बात यह है कि जब डब्ल्यूटीओ शुरू हुआ था, तब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का व्यापार बहुत सीमित था। ऐसी स्थिति में, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के व्यापार पर लगने वाले टैरिफ को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। 1998 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में यह तय किया गया कि विकासशील देशों की विकास संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से जुड़े मुद्दों का अध्ययन किया जाए; साथ ही यह प्रस्ताव भी रखा गया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक के लिए टाल दिया जाए।

दूसरी ओर, भारत सहित अन्य विकासशील देशों को इस रोक का खामियाज़ा भुगतना पड़



रहा है, क्योंकि इससे उन्हें राजस्व का नुकसान हो रहा है। उनके व्यवसायों की इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विकसित करने की क्षमता कमजोर पड़ रही है और उनका भविष्य का औद्योगीकरण भी खतरे में है। वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे विकसित देश, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर लगने वाले सीमा शुल्क पर डब्ल्यूओ की इस रोक को स्थायी (या कम से कम अनिश्चित काल के लिए) बनाये रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं।

भारत को राजस्व का नुकसान

“डिजिटल उत्पादों के आयात” के लिए सबसे ज्यादा माना जाने वाला पैमाना है डिजिटल रूप से दी जाने वाली सेवाएँ (डीडीएस), जैसे सॉफ्टवेयर, क्लाउड, ओटीटी, डेटा, डिज़ाइन, फ़िनटेक, वगैरह। नीति आयोग के अनुमानों के मुताबिक, भारत ने 2024 में 116.9 अरब डालर की डिजिटल सेवाएँ आयात कीं, जो पिछले सालों के 41.4 अरब डालर से काफी ज्यादा है; यह तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी को दिखाता है।

इस व्यापार का एक और अहम पहलू यह है कि आयात ज्यादातर विकसित देशों (यूएस, ईयू प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर कंपनियों) से हो रहा है। हम देखते हैं कि ई-ट्रांसमिशन पर डब्ल्यूओ की रोक का राजस्व पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, जैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ई-बुक्स, फ़िल्में, क्लाउड सेवाएँ वगैरह, पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। हालाँकि 2017 में राजस्व के इस नुकसान का अनुमान 500 मिलियन डालर लगाया गया था, लेकिन अब स्ट्रीमिंग, डिजिटल फ़िल्में, किताबें, एआई टूल्स, गेमिंग (वीडियो गेम्स) वगैरह के आयात में जबरदस्त बढ़ोतरी की वजह से यह नुकसान अब कहीं ज्यादा होने की संभावना है। बढ़ते आयात आधार को देखते हुए, सबसे कम अनुमान भी इस

नुकसान को सालाना 2 बिलियन डालर बताते हैं। उदाहरण के लिए, आयातित फिल्म रीलों की जगह अब ओटीटी स्ट्रीमिंग ले रही है, जिस पर इस रोक की वजह से कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती और न ही वसूली जाती है।

डब्ल्यूओ की चर्चाओं में अमेरिका ने इस रोक को “अनिश्चित काल” या हमेशा के लिए बढ़ाने की वकालत की है। अमेरिका यूरोपीय संघ और जापान के साथ मिलकर, टैरिफ-मुक्त डिजिटल व्यापार को बनाए रखने के लिए इस रोक को स्थायी रूप से अपनाने की भी पैरवी भी कर रहा है। अमेरिका की ओर से पहला तर्क यह है कि डिजिटल टैरिफ वैश्विक डिजिटल व्यापार में बाधा डालेंगे; दूसरा, इससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ सकती है; और तीसरा, यह वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को खंडित कर देगा।

जैसा कि डब्ल्यूओ का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, जो कैमरून में होने वाला है, तेज़ी से नज़दीक आ रहा है, सदस्य यह तय करेंगे कि क्या इस रोक को फिर से बढ़ाया जाए, इसे समाप्त होने दिया जाए, या इसे एक स्थायी नियम में बदल दिया जाए। अमेरिका और प्रमुख डिजिटल निर्यातक इसे स्थायी रूप से अपनाना चाहते हैं, जबकि कई विकासशील देश या तो इसे समाप्त करना चाहते हैं या इसमें समीक्षा के कड़े प्रावधान शामिल करना चाहते हैं।

क्यों खत्म होना चाहिए मोरेटोरियम (रोक)?

सबसे पहले, ई-ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी पर लगी रोक से राजस्व का भारी नुकसान होता है, क्योंकि भारत सहित विकासशील देश ई-प्रोडक्ट्स (डिजिटल प्रोडक्ट्स) के नेट इंपोर्टर हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विकसित देशों ने कई बहानों से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने के फैसले को लंबित रखा है।

दूसरे, हमारे स्टार्ट-अप और सॉफ्टवेयर कंपनियाँ कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में सक्षम हैं। हम अपने ही देश में फ़िल्में और दूसरे मनोरंजन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। लेकिन जब ऐसे सभी प्रोडक्ट्स बिना किसी रोक-टोक के, बिना टैरिफ के आयात किए जाते हैं, तो उन्हें देश में ही बनाने का प्रोत्साहन बहुत कम रह जाता है। ई-प्रोडक्ट्स के टैरिफ पर लगी यह रोक असल में ‘आत्मनिर्भर भारत’ के हमारे प्रयासों को खत्म कर रही है, जिससे अमेरिका, यूरोपीय देशों और चीन को फ़ायदा हो रहा है।

तीसरा, स्वास्थ्य, फ़िनटेक, सार्वजनिक सेवाओं और कई अन्य क्षेत्रों में कई डिजिटल उत्पाद, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह शामिल हैं, इन सेवाओं की मांग के तरीकों को बदला जा रहा है। अगर इन पर नए तरीकों से टैक्स नहीं लगाया गया, तो इसका सरकार के वित्त पर बुरा असर पड़ सकता है; साथ ही, इन डिजिटल उत्पादों को देश के अंदर बनाने में भी रुकावटें आ सकती हैं।

चौथा, कुछ डिजिटल उत्पाद हैं जो तेज़ी से भौतिक उत्पादों की जगह ले रहे हैं। 3 डी प्रिंटिंग के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से, ऑटो पार्ट्स, मेडिकल डिवाइस, खिलौने और मशीनरी के पुर्जों जैसे उत्पादों का व्यापार, सामान के बजाय डिज़ाइन फ़ाइलों के रूप में किया जा सकता है। राजस्व नुकसान के अतिरिक्त यह हमारी मैनुफैक्चरिंग क्षमता को भी घटा सकता है।

इसलिए, हम कह सकते हैं कि यह मुद्दा ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशों) के नज़रिए से बहुत अहम है, क्योंकि विकसित देश इन डिजिटल उत्पादों के मुख्य निर्यातक हैं, जबकि विकासशील देश इनके मुख्य आयातक हैं। कैमरून में होने वाली अगली

(शेष पृष्ठ 20 पर ...)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता : बदल रही है ज्ञान और नवाचार की प्रवृत्ति

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ बन चुकी है। जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने मशीनों के माध्यम से उत्पादन प्रणाली को बदल दिया था, उसी प्रकार आज एआई ज्ञान, निर्णय और नवाचार की प्रकृति को बदल रही है। डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग और स्वचालित निर्णय प्रणालियाँ आज उद्योग, व्यापार और शासन के लगभग सभी क्षेत्रों में उपयोग की जा रही हैं।

एआई तकनीक का प्रभाव केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सैन्य रणनीति, शिक्षा प्रणाली और सामाजिक संरचना को भी प्रभावित कर रही है। इसी कारण विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ—विशेष रूप से अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ—एआई को अपनी राष्ट्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना चुकी हैं।

पीडब्ल्यूसी और मैकिन्से जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के अनुसार आने वाले वर्षों में एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था में ट्रिलियन डॉलर स्तर का योगदान कर सकती है। इससे स्पष्ट है कि एआई भविष्य की आर्थिक संरचना को पुनः परिभाषित करने की क्षमता रखती है।

भारत के संदर्भ में भी यह तकनीक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के पास विशाल जनसंख्या, डेटा विविधता, तकनीकी प्रतिभा और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे संसाधन हैं। यदि इन संसाधनों का सही उपयोग किया जाए तो भारत एआई आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।


कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ऐतिहासिक विकास

कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अवधारणा बीसवीं सदी के मध्य में विकसित हुई। 1950 में ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मशीनें सोच सकती हैं। उन्होंने "ट्यूरिंग टेस्ट" का प्रस्ताव दिया, जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जा सकता था कि कोई मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है या नहीं।



कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास कई तकनीकी क्षेत्रों के संयोजन से संभव हुआ है। इनमें मशीन लर्निंग, बड़े भाषा मॉडल, रोबोटिक्स और कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता प्रमुख हैं।

— डॉ. धनपतराम
अग्रवाल



1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ कॉलेज में आयोजित सम्मेलन में पहली बार "आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस" शब्द का औपचारिक प्रयोग किया गया। इस सम्मेलन को एआई अनुसंधान की औपचारिक शुरुआत माना जाता है।

प्रारंभिक दशकों में एआई अनुसंधान मुख्यतः नियम आधारित प्रणालियों पर आधारित था। इन प्रणालियों में मशीनों को विशिष्ट नियमों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम किया जाता था। हालांकि इस पद्धति की सीमाएँ जल्द ही स्पष्ट हो गईं, क्योंकि जटिल समस्याओं को केवल स्थिर नियमों के माध्यम से हल करना कठिन था।

बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में मशीन लर्निंग का विकास हुआ। इस तकनीक ने मशीनों को डेटा से सीखने और अनुभव के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की। इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और जीपीयू आधारित कंप्यूटिंग शक्ति के विकास ने डीप लर्निंग और बड़े भाषा मॉडलों के विकास को संभव बनाया।

आज जेनेटिव एआई और एजीआई जैसी अवधारणाएँ एआई अनुसंधान के नए आयाम प्रस्तुत कर रही हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तकनीकी आयाम

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास कई तकनीकी क्षेत्रों के संयोजन से संभव हुआ है। इनमें मशीन लर्निंग, बड़े भाषा मॉडल, रोबोटिक्स और कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता प्रमुख हैं।

मशीन लर्निंग एआई का मूल आधार है। इसमें कंप्यूटर एल्गोरिद्म डेटा से पैटर्न सीखते हैं और उसी आधार पर भविष्यवाणियाँ या निर्णय लेते हैं। मशीन लर्निंग के विभिन्न प्रकार हैं जिनमें सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रिइन्फोर्समेंट लर्निंग प्रमुख हैं।

रोबोटिक्स एआई का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है। एआई संचालित रोबोट औद्योगिक उत्पादन, चिकित्सा सर्जरी, अंतरिक्ष अनुसंधान और सैन्य प्रणालियों में उपयोग किए जा रहे हैं। भविष्य में रोबोटिक्स मानव श्रम की प्रकृति को भी बदल सकता है।

बड़े भाषा मॉडल आधुनिक एआई की सबसे महत्वपूर्ण प्रगति माने जाते हैं। ये मॉडल विशाल मात्रा में पाठ डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं और मानव भाषा को समझने तथा उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। आज एलएलएम आधारित प्रणालियाँ शिक्षा, शोध, कोडिंग और डिजिटल सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

रोबोटिक्स एआई का एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है। एआई संचालित रोबोट औद्योगिक उत्पादन, चिकित्सा सर्जरी, अंतरिक्ष अनुसंधान और सैन्य प्रणालियों में उपयोग किए जा रहे हैं। भविष्य में रोबोटिक्स मानव श्रम की प्रकृति को भी बदल सकता है।

एजीआई या कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता एआई अनुसंधान का सबसे उन्नत और संभावित रूप है। एजीआई का लक्ष्य ऐसी मशीनों का विकास करना है जो मानव के समान सामान्य बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकें।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग की संरचना, आठ परतें और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को केवल एक सॉफ्टवेयर तकनीक के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। वास्तव में यह एक व्यापक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें खनिज संसाधनों से लेकर अंतिम उपयोगकर्ता तक अनेक स्तर शामिल होते हैं। इस पूरे तंत्र को समझने के लिए कई विशेषज्ञ एआई उद्योग को

आठ प्रमुख परतों (एआई इकोसिस्टम लेयर्स) में विभाजित करते हैं।

इन परतों का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि एआई का विकास केवल एल्गोरिद्म या सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खनन उद्योग, सेमीकंडक्टर निर्माण, क्लाउड अवसंरचना, डेटा केंद्र और डिजिटल सेवाओं तक फैला हुआ है।

पहली परत : खनिज संसाधन और कच्चा माल

एआई उद्योग की आधारभूत परत खनिज संसाधनों से जुड़ी है। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है, जिनमें सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व प्रमुख हैं। इन खनिजों का खनन और प्रसंस्करण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

विश्व में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के उत्पादन में चीन का प्रमुख स्थान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे देश भी महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए जाने जाते हैं। इन संसाधनों की उपलब्धता एआई उद्योग के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

दूसरी परत : सेमीकंडक्टर निर्माण

एआई उद्योग की दूसरी महत्वपूर्ण परत सेमीकंडक्टर निर्माण से संबंधित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए अत्यधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विशेष प्रकार के चिप्स का उपयोग किया

जाता है। इनमें जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स), एआई एक्सलेरटर्स और टीपीयू (टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स) प्रमुख हैं।

आज वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में कुछ कंपनियाँ अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं। एनवीडिया एआई चिप डिजाइन में अग्रणी है, जबकि इंटेल और एएमडी भी उच्च प्रदर्शन वाले प्रोसेसर विकसित करते हैं। ताइवान की कंपनी टीएसएमसी विश्व की सबसे बड़ी चिप निर्माण कंपनी है और कई वैश्विक तकनीकी कंपनियाँ अपने चिप उत्पादन के लिए उसी पर निर्भर हैं।

दक्षिण कोरिया की सेमसंग भी उन्नत सेमीकंडक्टर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार सेमीकंडक्टर उद्योग एआई पारिस्थितिकी तंत्र की केंद्रीय धुरी बन चुका है।

तीसरी परत : कंप्यूटिंग अवसंरचना

एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिए अत्यधिक कंप्यूटिंग क्षमता की आवश्यकता होती है। बड़े एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए हजारों जीपीयू और सुपरकंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आज कई वैश्विक तकनीकी कंपनियाँ एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना विकसित कर रही हैं। एनवीडिया के जीपीयू क्लस्टर, गूगल के टीपीयू और माइक्रोसॉफ्ट के एआई सुपरकंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण हैं। इस कंप्यूटिंग अवसंरचना के बिना बड़े एआई मॉडल का विकास संभव नहीं है।

चौथी परत : क्लाउड प्लेटफॉर्म और डेटा सेंटर

एआई उद्योग की चौथी परत क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर से संबंधित है। क्लाउड प्लेटफॉर्म एआई मॉडल प्रशिक्षण और संचालन के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध कराते हैं।



आज कई वैश्विक तकनीकी कंपनियाँ एआई कंप्यूटिंग अवसंरचना विकसित कर रही हैं। एनवीडिया के जीपीयू क्लस्टर, गूगल के टीपीयू और माइक्रोसॉफ्ट के एआई सुपरकंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इस क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण हैं।

आज विश्व में अमजोन वेब सेवाएँ (एडब्ल्यूएस), माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और गूगल क्लाउड सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं। ये कंपनियाँ विशाल डेटा सेंटर नेटवर्क के माध्यम से एआई आधारित सेवाएँ प्रदान करती हैं।

भारत में भी डेटा सेंटर उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। रिलायंस जियो, अदानीकनेक्स और योहटा इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियाँ बड़े डेटा सेंटर स्थापित कर रही हैं।

पाँचवीं परत : आधारभूत एआई मॉडल

एआई पारिस्थितिकी तंत्र की पाँचवीं परत आधारभूत एआई मॉडलों से संबंधित है। इन मॉडलों को अक्सर “फाउंडेशन मॉडल” कहा जाता है।

ओपनएआई, गूगल डीपमाइंड, एंथ्रोपिक और मेटा जैसी कंपनियाँ बड़े एआई मॉडल विकसित कर रही हैं। ये मॉडल विशाल डेटा सेट पर प्रशिक्षित होते हैं और कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए आधार प्रदान करते हैं।

जेनेरेटिव एआई मॉडल जैसे जीपीटी और क्लाउड इसी श्रेणी में आते हैं।

छठी परत : एआई प्लेटफॉर्म और डेवलपर टूल

एआई उद्योग की अगली परत डेवलपर प्लेटफॉर्म और टूल से जुड़ी है। ये प्लेटफॉर्म डेवलपर्स को एआई

आधारित अनुप्रयोग बनाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और हगिंग्स फेस जैसे प्लेटफॉर्म एआई डेवलपमेंट के लिए व्यापक टूल प्रदान करते हैं। इन टूल्स के माध्यम से कंपनियाँ और स्टार्टअप एआई आधारित उत्पाद विकसित कर सकते हैं।

सातवीं परत : उद्योग आधारित एआई समाधान

एआई उद्योग की सातवीं परत उद्योग आधारित अनुप्रयोगों से संबंधित है। इस स्तर पर एआई तकनीक को विभिन्न उद्योगों में लागू किया जाता है। एसएपी, सेल्सफोरस और पलान्टिर जैसी कंपनियाँ विभिन्न उद्योगों के लिए एआई आधारित समाधान विकसित करती हैं। भारत में टीसीएस, इंफोसिस, विपरो और एचसीएल जैसी आईटी कंपनियाँ भी एआई आधारित सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

आठवीं परत : अंतिम उपयोगकर्ता

एआई पारिस्थितिकी तंत्र की अंतिम परत अंतिम उपयोगकर्ता से संबंधित है। इस स्तर पर एआई तकनीक उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं के रूप में दिखाई देती है। स्मार्टफोन, डिजिटल सहायक, स्वचालित वाहन, स्मार्ट शहर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एआई के व्यापक उपयोग के उदाहरण हैं। □□


दर्द में जीने से अच्छा है सुकून से मरने का फैसला

जीवन-मरण के प्रसंग में किसी ने महात्मा विदुर से पूछा कि मनुष्य क्यों जन्म लेता है? उनका उत्तर था, मरने के लिए। प्रश्नकर्ता ने दोहराया कि जब जीवन का लक्ष्य मरना ही है तो फिर वह जीवन भर हाथ पैर किसलिए मारता है? जीतोड़ मेहनत कर संग्रह क्यों करता है? उन्होंने कहा, अपनी मौत को शानदार बनाने के लिए। यानी कि सिर्फ सांस लेना, रोजमर्रा का काम निपटा लेना ही जीवन का सार नहीं है, सम्मान के साथ विदाई का हक हासिल करना ही पूरी जिंदगी की भाग दौड़ का मकसद है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक अत्यंत मानवीय फैसले से पिछले 13 साल से मृत्यु का अंतहीन इंतजार कर रहे हरीश राणा को गरिमा के साथ जीवन के जरा-मरण से मुक्ति की अनुमति दे दी है। 32 वर्ष के हरीश राणा पंजाब विश्वविद्यालय के बीटेक के छात्र हैं, पढ़ाई के दौरान चौथी मंजिल से गिरने पर मस्तिष्क में लगी चोट के कारण लगातार कोमा में है। वे 13 वर्षों पर जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं जहां धड़कन तो है पर जिंदगी कहीं नहीं है।

वर्ष 2013 में गाजियाबाद से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने चंडीगढ़ गए छात्र हरीश राणा हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए। इस दौरान उनके सिर पर गंभीर चोट आई और वह कोमा में चले गए। पिछले 13 साल से वह कोमा में हैं। लंबे समय तक परिवार ने बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना की लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो परिवार टूट गया। इसके बाद हरीश के माता-पिता ने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दर्द को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। आइये जानते हैं कि इच्छा मृत्यु क्या है? कौन मांग सकता है और किन परिस्थितियों में इसकी अनुमति मिलती है? एवं दुनिया के किन देशों में क्या हैं इच्छा मृत्यु के नियम?

इच्छा मृत्यु (यूथेनेशिया) वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की असाध्य बीमारी,



इच्छा मृत्यु (यूथेनेशिया) वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की असाध्य बीमारी, असहनीय पीड़ा या लंबे समय तक अचेत अवस्था (कोमा) में रहने की स्थिति में उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए चिकित्सकीय सहायता से उसके जीवन को समाप्त करने या प्राकृतिक मृत्यु होने देने की अनुमति दी जाती है।
— अनिल तिवारी



असहनीय पीड़ा या लंबे समय तक अचेत अवस्था (कोमा) में रहने की स्थिति में उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए चिकित्सकीय सहायता से उसके जीवन को समाप्त करने या प्राकृतिक मृत्यु होने देने की अनुमति दी जाती है। इच्छा मृत्यु को अंग्रेजी में यूथेनेशिया कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है – “Eu” (अच्छा) और “Thanatos” (मृत्यु), जिसका अर्थ है “अच्छी या सहज मृत्यु”।

भारत में इच्छा मृत्यु पूरी तरह से वैध नहीं है, लेकिन पैसिव यूथेनेशिया को सीमित परिस्थितियों में अनुमति दी गई है। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कामन काज बनाम भारत सरकार' मामले में यह फैसला दिया कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) का हिस्सा है। इसी के साथ अदालत ने कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथेनेशिया को मंजूरी दी। एक्टिव यूथेनेशिया भारत में अवैध है और इसे हत्या या आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे अपराधों के तहत दंडनीय माना जा सकता है।

हमारे देश में अगर कोई मरीज असाध्य बीमारी से पीड़ित हो या स्थायी कोमा में हो, पहले से “लिविंग विल” यानी अग्रिम चिकित्सा निर्देश लिखा हो तो अस्पताल की मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थिति की पुष्टि की जाती है। इच्छा मृत्यु वरण के लिए परिवार और डॉक्टरों की सहमति आवश्यक होती है।

भारत में इच्छा मृत्यु का इतिहास

भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर कानूनी और सामाजिक बहस कई दशकों से चल रही है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 309 (आत्महत्या का प्रयास) के तहत इसे दंडनीय माना जाता था। इसलिए डॉक्टर द्वारा किसी मरीज को जानबूझकर मृत्यु देना या इसमें मदद करना कानूनन

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कामन काज बनाम भारत सरकार के मामले में एक और ऐतिहासिक फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने कहा कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। साथ ही अदालत ने “लिविंग विल” को मान्यता दी।

अपराध था। इच्छा मृत्यु पर पहली बड़ी कानूनी बहस 1994 में सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में सामने आई। उस समय अदालत ने “जीवन के अधिकार” के साथ “मरने के अधिकार” को जोड़ने पर विचार किया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 21 में केवल जीवन का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं।

भारत में इच्छा मृत्यु पर सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साल 2011 के अरुणा शानबाग मामले से आया। अरुणा का जन्म कर्नाटक में एक साधारण परिवार में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई गांव में पूरी करने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चली गईं और नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में नौकरी करने लगीं। 27 नवंबर 1973 को उनके साथ हैवानियत हुई जिसमें अरुणा शानबाग का ब्रेन डैड हो गया। 42 साल तक अरुणा अस्पताल के एक बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूलती रहीं। साल 2011 में अरुणा की हालत को देखते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिसमें मांग की गई कि अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए।

7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अरुणा को इच्छामृत्यु की अनुमति देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कुछ परिस्थितियों में ‘इच्छा मृत्यु’ की अनुमति दी जाएगी, लेकिन

केवल तभी जब अस्पताल ने स्वयं अनुरोध किया हो। अदालत ने अरुणा के मामले में इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं दी, लेकिन इस फैसले में पहली बार भारत में पैसिव इच्छा मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ मान्यता दी गई। 18 मई 2015 को अरुणा का निधन हो गया था। उनकी कहानी ने भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर बड़ी कानूनी और नैतिक बहस छेड़ दी।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कामन काज बनाम भारत सरकार के मामले में एक और ऐतिहासिक फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने कहा कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। साथ ही अदालत ने “लिविंग विल” को मान्यता दी। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति पहले से लिखकर यह निर्देश दे सकता है कि अगर वह किसी असाध्य बीमारी या कोमा की स्थिति में पहुंच गया है तो उसे कृत्रिम जीवनरक्षक उपकरणों पर न रखा जाए।

ज्ञात हो कि नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, कनाडा, कोलंबिया, स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के कई देशों में इच्छा मृत्यु या चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु को कुछ शर्तों के साथ कानूनी मान्यता दी गई है।

उच्चतम न्यायालय के फैसले से हजारों लोगों को राहत की संभावना बढ़ गई है जो बरसों से अपनों के दुख दर्द के निपटारे का अंतहीन इंतजार कर रहे हैं। □□

स्वदेशी मेले स्वदेशी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचने में सहायक

स्वाबलंबी भारत और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब हमको शासकीय योजनाओं में भी स्वदेशी वेशभूषा स्वदेशी व्यंजन आदि का उपयोग भाषा के साथ करना होगा! जब हम अपनी भाषा अपनी वेशभूषा अपने लोक व्यंजन को शासकीय और निजी आयोजनों में प्राथमिकता देंगे, तभी हम आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा पाएंगे। हम जब अपने देशी वेशभूषा का प्रयोग शासकीय कार्यालय में स्कूलों में महाविद्यालय में जो ड्रेस कोड जारी किया जाता है उसमें स्कूल के बस्ते, मौजे, जूते एवं ड्रेस का जो उपयोग किया जाता है उसमें स्थानीय स्तर पर बने कपड़ों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। शासकीय कार्यालय में टेबल क्लॉथ, पेपर वेट पर्दे अलमारियां, कंप्यूटर, कुर्सियां आदि जितनी भी चीज इस्तेमाल की जाती है वह सब देशी उत्पादन के होना चाहिए। इसमें भी मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा की बुंदेलखंड बघेलखंड, मालवा एवं देश के अन्य प्रान्तों आदि के जो व्यंजन है उनका ही उपयोग शासकीय आयोजनों में किया जाए, जिससे कि स्थानीय व्यंजनों का प्रचार प्रसार होगा और वह व्यंजन भी यदि श्री अन्न से बनाए जाएं तो हमारा आत्मनिर्भर अभियान और ज्यादा कारगर होगा। वैसे देखने में आ रहा है कि स्वास्थ्य वर्धक होने के कारण श्री अन्न (कोदों, कुटकी, रागी, बाजरा, ज्वार) का उपयोग अब बढ़ रहा है। साथ ही हमारे जो देसी उत्पाद हैं जो हमारे आदिवासी भाई बहन सिर्फ कला से जुड़े हुए कारीगर आदि है उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और हम विकसित भारत की ओर एक कदम बढ़ाएंगे।



स्वदेशी मेले, स्थानीय बाजार-हॉट इन उत्पादों को बेचने में मददगार साबित हो रहे हैं। साथ ही इन मेलों, हाट-बाजारों में जो स्थानीय भाषा है, वेशभूषा है, आर्थिक उत्पादन हैं स्थानीय व्यंजन है इन सबका भी प्रदर्शन किया जाता है।
- डॉ. जयप्रकाश मिश्र

अभी एक कांफ्रेंस में विचार मंथन के बाद यह निकल कर आया कि हमारे जो देशी उत्पाद महुआ, चिरौंजी, वेर, तेंदू, औषधीय पौधे हैं, इन सबका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है परंतु इनके उत्पादन के जो मालिक हैं उनको उचित दाम उनके उत्पाद का प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा कि महुआ 20 रु. किलो हमारे आदिवासी भाइयों से व्यापारी खरीद लेता है उसकी पैकिंग करके सफाई करके वही महुआ वह 200 और 300 रु. में बेचता है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो गरीब, कृषक, भूमिहीन कृषक संपूर्ण देश में है उनको उसके उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। बेचौलिए और व्यापारी उनके उत्पाद का सही लाभ प्राप्त करते हैं। चिरौंजी के उत्पादन में भी एक अध्ययन से सामने आया कि हमारे जो अनुसूचित जनजाति और किसान भाई जो खेती से जुड़े हुए हैं जंगली उत्पादों से जुड़े हुए हैं उनका एक माइंड सेट रहता है कि हमें सप्ताह में 500 रु. की आवश्यकता रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए है तो वह 1 किलो चिरौंजी जब बाजार में लाते हैं तो व्यापारी उनसे पूछता है कि कितना पैसा आपको चाहिए है वह अपने माइंडसेट के हिसाब से 500 या 600 रु. बता देता है और वह 500-600 रु. का भुगतान उस अनुसूचित जनजाति के भाई बहन को कर देता है, और वही चिरौंजी, वह ओपन बाजार में 4000 रु. किलोग्राम के हिसाब से बेचता है।

उपर्युक्त दोनों तथ्य अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए – मेरा मानना है कि यदि सरकार 5-7 गांव को मिलाकर एक क्रय केंद्र इन आदिवासी भाइयों के लिए खोलकर उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने की यदि कोई योजना बनाई तो हमारे गरीब किसान आदिवासी भाइयों का भला हो सकता है। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि उसे क्रय केंद्र और

विक्रय केंद्र में आदिवासी भाइयों को ही किसान भाइयों के ही गरीब भाइयों को ही यदि रोजगार दे दिया जाता है और सरकार क्रय और विक्रय की व्यवस्था के लिए उनको अनुदान देता है तो मुझे लगता है कि हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है वह सफलता की ओर आसानी से बढ़ जाएगा।

अभी हाल ही में मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के स्वदेशी मेला में शामिल हुआ जहां मैं महुआ के लड्डू जो शुद्ध घी और मेवे से बने थे उनका क्रय किया। वह लड्डू मुझे 400 रु. प्रति किलो दिए गए। कहने का अभिप्राय है कि यदि इस तरह के उत्पाद महुआ से बने उत्पाद चिरौंजी से बने उत्पाद और जंगली फलों से बने उत्पादों से बने हुए विक्रय के लिए नए-नए उत्पाद यदि स्थानीय स्तर पर ही इन गरीब किसान आदिवासी भाइयों को प्रशिक्षण देकर तैयार कराये जायें तो इनको भी लाभ होगा और हमारे स्वदेशी अभियान को भी बल मिलेगा। अतः सरकार को विशेष रूप से आदिवासी इलाकों में ऐसे उत्पाद केन्द्रों के खोलने की कोई योजना तैयार करनी चाहिए जिससे कि जंगली उत्पाद का उचित प्रतिफल उन उत्पादकों को दिया जा सके जिससे उनकी गरीबी दूर हो और वह व्यापार के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ा सके। स्वदेशी मेले की जो अवधारणा संपूर्ण राष्ट्र में चल रही है, और साप्ताहिक मेले जो संचालित किया जा रहे हैं, यह निश्चित रूप से स्थानीय उत्पादों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे क्योंकि मेलों से जहां एक ओर उत्पादकों को उनका उचित मूल्य प्राप्त होता है वहीं दूसरी ओर स्थानीय उत्पादों को मेले के माध्यम से प्रचार प्रसार का भी अवसर प्राप्त होता है।

भारत को जब सोने की चिड़िया कहा जाता था तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी भागीदारी व्यापार में 33 प्रतिशत के करीब थी लेकिन आज हम

दो-तीन प्रतिशत की भागीदारी में सीमित रह गए हैं। हमारा कला शिल्प, वुडन शिल्प उस समय अत्यंत समृद्ध था, जिस कारण भारत में दुनिया के तमाम व्यापारी यहां व्यापार करने आते थे।

बाजारवादी व्यवस्था के इस युग में सभी देश लाभ केंद्रित योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अब कबीर के उस चिंतन पर बाजारवादी व्यवस्था निर्भर नहीं रही, जहां कबीर कहता था कि 'कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर'! इस आत्म केंद्रित दुनिया में अब आदमी लाभ केंद्रित है, सेवा केंद्रित भाव समाप्त हो गया है! इसलिए सरकार और शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है कि ऐसे गरीबों को उठाने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाना आवश्यक हो गया है। ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ कर ही नहीं रही हैं। सरकार गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए "सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास", की थीम पर काम कर रही है। परंतु ऐसा लगता है कि इनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पा रहा है। क्रियान्वयन के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। लोक योजनाओं से जुड़ी खामियों को समझना चाहिए, सरकार को इन कमियों को बताया जाना चाहिए जिससे कि उन योजनाओं में परिवर्तन और संशोधन किए जा सकें।

फिलहाल हम केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि गरीब, भूमिहीन, अनुसूचित जनजाति के भाई-बहन का उन्नयन कैसे हो, वे विकास की मुख्य धारा से कैसे जुड़े? इस पर हमें चिंतन करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार को क्रय-विक्रय के केंद्र रिमोट एरियाज में ही खोलने की योजना बनाना चाहिए जिससे उनके जलीय उत्पाद, वनोपज खेती से निकले हुए उत्पादन का उचित मूल्य हमारे इन भाई बहनों को मिल सके। गांव खेड़ा में यह व्यवस्था

सामुदायिक विकास के रूप में की जानी चाहिए जिसमें समूह बनाकर के इन उत्पादों का क्रय- विक्रय किया जा सके। समूह बनाकर जब कोई जिम्मेदारी सोपी जाती है, तब उसके परिणाम सही आते हैं।

स्वदेशी मेले, स्थानीय बाजार-हॉट इन उत्पादों को बेचने में मददगार साबित हो रहे हैं। साथ ही इन मेलों, हाट-बाजारों में जो स्थानीय भाषा है, वेशभूषा है, आर्थिक उत्पादन हैं स्थानीय व्यंजन है इन सबका भी प्रदर्शन किया जाता है। स्थानीय परिधान, स्थानीय लोकगीत, वोलियों, स्थानीय व्यंजनों आदि के साथ-साथ स्थानीय कलाओं को एक मंच इन मेलों के माध्यम से मिलता है। परिणामस्वरूप, स्थानीय उत्पादकों, स्थानीय कलाकारों, को अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर प्राप्त होता है। मेले में एक और रोचक तथ्य सामने आया है कि होली के लिए जो रंग, गुलाल स्थानीय स्तर पर बुंदेलखंड में तैयार किया गया है वह खास तौर से टैशु के फूल से तैयार हुआ है, जो केमिकल रहित है। इस मेले के माध्यम से यदि महुआ के उत्पाद और टेसू के फूल से बने रंग गुलाल आदि का प्रचार-प्रसार पूरे देश में होता है तो हमारे स्थानीय उत्पादकों को इसका लाभ मिलेगा और 'वोकल फार लोकल, लोकल फार ग्लोबल', की जो हमारी अवधारणा है वह विश्व स्तर पर पहुंचेगी। तब हमारे श्री अन्न, जैसे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी करेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी चाय कॉफी कपड़े टाइल्स आदि विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। और यह तभी संभव है, जब हम स्वदेशी उत्पादों को बढ़ाकर, उनका खुद उपयोग करके, दूसरों को उनका उपयोग बताकर, अपनी सहभागिता इस स्वदेशी संकल्प यात्रा में सुनिश्चित करेंगे। □□

संघ द्वारा चलाए जा रहे पंच परिवर्तन कार्यक्रम से होगा समाज परिवर्तन

आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और यदि हम संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर दृष्टि डालें, तो ध्यान में आता है कि संघ के स्वयंसेवकों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विचार और क्रियाशीलता के स्तर पर सक्रिय योगदान दिया है। वे अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन के वाहक भी बने हैं। प्रारम्भ का सीमित संघ कार्य, समय के साथ व्यापक होता गया है। समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को समझते हुए स्वयंसेवक विविध आयामों में अपने सहयोगियों के साथ क्रियाशील बने हैं। परिणामतः संघ के उद्देश्य के अनुरूप, देश में हिंदुत्व का जागरण करने की दिशा में विशेष प्रगति हुई है। हिंदुत्व के जागरण से, समाज में जाति, वर्ग, भाषा इत्यादि के आधार पर होने वाले अनेक प्रकार के भेदभाव, धीरे धीरे कम होने लगे हैं। श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, अयोध्या मंदिर में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कुम्भ जैसे विराट आयोजन इत्यादि अनेक ऐसे अवसर आए हैं – जहां हिंदू समाज का एक संगठित, भव्य और उच्च आदर्शों से युक्त स्वरूप सामने आया है। यह दृश्य समाज में आत्मविश्वास जगाने वाला बन रहा है। हम सब मिलकर देश के भविष्य को उज्ज्वल एवं सुदृढ़ बना सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। इसलिए ये हमारी राष्ट्रीय एकात्मता को सुदृढ़ करने वाले आयोजन सिद्ध हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष केवल इतिहास की उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि भविष्य की दिशा का संकल्प हैं।

आज, जब हम राष्ट्रीयस्वयं संघ की 100 वर्षों की इस यात्रा को देखते हैं, तो यह भी स्पष्ट होता है कि समाज में जिस परिवर्तन के लिए संघ के स्वयंसेवक सक्रिय रहे हैं वह अब दिखाई देने लगा है। हिंदुत्व और इसकी परम्पराओं पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। समाज के अनेक लोग इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं और इसका अनुभव भी कर रहे हैं। हिंदुत्व की इस जागृति के कारण लोग अब हिंदू होने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं। एक समय था जब सार्वजनिक जीवन में हिंदू समाज की कमियों को ही उजागर किया जाता था, जिससे अनेक लोग हिंदुत्व की अच्छाईयों को पहचान नहीं पाए, किंतु अब स्थिति बदल रही है। लोग अपने पूर्वजों के धर्म और परम्पराओं को महत्व देने लगे हैं। वे अपने बच्चों के नामकरण से लेकर विवाह पद्धति तक में हिंदू संस्कारों का समावेश कर रहे हैं। घर की परम्पराओं को आदरपूर्वक अपनाया जा रहा है।



“वसुधैव कुटुंबकम्” के आदर्श पर चलकर भारत न केवल अपने समाज को सशक्त करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को शांति, सद्भाव और सहयोग का संदेश देकर विश्वगुरु की भूमिका निभाएगा।
— प्रहलाद सबनानी

उक्त वर्णित सम्पूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य है – एक सच्चरित्र, प्रामाणिक और संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करना। ऐसी पीढ़ी समाज का वातावरण सुधार कर घर और समाज में सुख शांति स्थापित कर सकती है। इसलिए, इन मूल्यों और संस्कारों को महत्व देने और उन्हें अपने जीवन में उतारने के प्रयास आज घर-घर में होने लगा हैं। लोग अब ऐसे सभी मंचों और माध्यमों से जुड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं जो इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संघ को भी लोग इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण माध्यम मानने लगे हैं और विश्वासपूर्वक संघ से जुड़ने का उत्साह दिखा रहे हैं। जैसे-जैसे हिंदुत्व पर विश्वास बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भारत के प्रति श्रद्धा और विश्वास, व्यापक और गहरा हो रहा है। संघ का मानना है कि “वसुधैव कुटुंबकम्” के आदर्श पर चलकर भारत न केवल अपने समाज को सशक्त करेगा, बल्कि पूरी

दुनिया को शांति, सद्भाव और सहयोग का संदेश देकर विश्वगुरु की भूमिका निभाएगा। यह सब भारतीय समाज में परिवर्तन लाकर ही फलीभूत हो सकता है। संघ द्वारा अपनी स्थापना के समय लिए गए संकल्पों को शीघ्र पूर्ण करने के उद्देश्य से इस शताब्दी वर्ष में कुछ विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय समाज को (1) अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग करने, (2) पर्यावरण के प्रति सचेत करने, (3) नागरिकों में स्व के भाव को जगाने एवं स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने, (4) कुटुम्ब प्रबोधन के माध्यम से पारिवारिक भावना जागृत करने एवं (5) समाज में समरसता के भाव को सुदृढ़ करने के लिए गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को "पंच परिवर्तन" का नाम दिया गया है और इसका आह्वान परम पूजनीय सर संघचालक श्री मोहन जी भागवत द्वारा किया गया है ताकि अनुशासन एवं देशभक्ति से ओतप्रोत युवा वर्ग अनुशासित होकर अपने देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करे। इस पंच परिवर्तन कार्यक्रम को सुचारु रूप से लागू कर समाज में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।

व्यवहार में पंच परिवर्तन को समाज में किस प्रकार लागू करना है इस हेतु हम समस्त भारतीय नागरिकों को मिलकर प्रयास करने होंगे, क्योंकि पंच परिवर्तन केवल चिंतन, मनन अथवा बहस का विषय नहीं है बल्कि इस हमें अपने व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। उक्त पांचों आचरणात्मक बातों का समाज में होना सभी चाहते हैं, अतः छोटी-छोटी बातों से प्रारंभ कर उनके अभ्यास के द्वारा इस आचरण को अपने स्वभाव में लाने का सतत प्रयास अवश्य करना होगा। जैसे, समाज के आचरण में, उच्चारण में संपूर्ण समाज और देश के प्रति अपनत्व की भावना प्रकट हो, प्रत्येक घर में सप्ताह में कम से कम एक बार

पूजा या धार्मिक आयोजन हो एवं अपने परिवार के बच्चों के साथ बैठकर महापुरुषों के सम्बंध में सप्ताह में कम से कम एक घंटे चर्चा हो, परिवार के सभी सदस्यों में नित्य मंगल संवाद, संस्कारित व्यवहार व संवेदनशीलता बनी रहे, बढ़ती रहे व उनके द्वारा समाज की सेवा होती रहे, आदि बातों का ध्यान रखकर कुटुंब प्रबोधन जैसे विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है।

मंदिर, पानी, श्मशान के सम्बंध में कहीं भेदभाव बाकी है, तो वह शीघ्र ही समाप्त होना चाहिए। हम लोग अपने परिवार सहित त्यौहारों के समय अनुसूचित जाति के बंधुओं के घर जाएं और उनके साथ चाय पान करें। साथ ही, हम अनुसूचित जाति के बंधुओं को सपरिवार अपने परिवार में बुलाकर सम्मान प्रदान करें। कुल मिलाकर समस्त समाज एक दूसरे के त्यौहारों में शामिल हों ताकि आपस में भाई चारा बढ़े एवं देश में सामाजिक समरसता स्थापित हो सके।

सृष्टि के साथ संबंधों का आचरण अपने घर से पानी बचाकर, प्लास्टिक हटाकर व घर आंगन में तथा आसपास हरियाली बढ़ाकर हो सकता है। अपने घरों में जल का कोई अपव्यय नहीं हो रहा है एवं अपने परिवार में हरियाली की चिंता की जा रही है। अपने घर में, रिश्तेदारी में, मित्रों के यहां सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का आग्रह किया जा रहा है आदि बातों पर ध्यान देकर देश में पर्यावरण को सुधारा जा सकता है।

स्वदेशी के आचरण से स्व-निर्भरता व स्वावलंबन बढ़ता है। फिजूलखर्ची बंद होनी चाहिए, देश को रोजगार बढ़े व देश का पैसा देश में ही काम आए, इस बात का ध्यान देश के समस्त नागरिकों को रखना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वदेशी का आचरण भी घर से ही प्रारंभ होना चाहिए। समस्त नागरिकों के घर में स्वदेशी उत्पाद ही

उपयोग होने चाहिए।

देश में कानून व्यवस्था व नागरिकता के नियमों का भरपूर पालन होना चाहिए तथा समाज में परस्पर सद्भाव और सहयोग की प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त होनी चाहिए। इन्हें हमारे नागरिक कर्तव्यों के रूप में देखा जाना चाहिए। समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन हेतु हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। विशेष रूप से युवाओं में नशाबंदी समाप्त करने के लिए, मृत्यु भोज रोकने के लिए तथा विभिन्न समाजों में व्याप्त दहेज की कुप्रथा समाप्त करने के गम्भीर प्रयास हम समस्त नागरिकों को मिलकर ही करने होंगे।

समाज की एकता, सजगता व सभी दिशा में निस्वार्थ उद्यम, जनहितकारी शासन व जनोन्मुख प्रशासन स्व के अधिष्ठान पर खड़े होकर परस्पर सहयोगपूर्वक प्रयासरत रहते हैं, तभी राष्ट्रबल वैभव सम्पन्न बनता है। बल और वैभव से सम्पन्न राष्ट्र के पास जब हमारी सनातन संस्कृति जैसी सबको अपना कुटुंब माननेवाली, तमस से प्रकाश की ओर ले जानेवाली, असत् से सत् की ओर बढ़ानेवाली तथा मृत्यु जीवन से सार्थकता के अमृत जीवन की ओर ले जानेवाली संस्कृति होती है, तब वह राष्ट्र, विश्व का खोया हुआ संतुलन वापस लाते हुए विश्व को सुखशांतिमय नवजीवन का वरदान प्रदान करता है।

संघ की दृष्टि बहुत स्पष्ट है कि सम्पूर्ण भारत की पहचान जिससे है, उस आध्यात्म आधारित एकात्म और सर्वांगीण जीवन दृष्टि को दुनिया हिंदुत्व अथवा हिंदू जीवन दृष्टि के नाते जानती है। उस हिंदुत्व को जगाकर सम्पूर्ण समाज को एक सूत्र में जोड़कर निर्दोष और गुणवान हिंदू समाज के संगठन का यह कार्य जो वर्ष 1925 में प्रारम्भ हुआ वह आज भी निरन्तर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। □□

(प्रस्ताव सन्तानी, सेवाविभूत उपमहासचिव, भारतीय स्टेट बैंक, न्यासिगर, न.प्र.)

चीन से सावधान रहने की अभी भी है दरकार

समाचारों के हवाले से यह सूचना आ रही है कि भारत सरकार ने चीन से आने वाले निवेश पर बंदिशों में ढील दे दी है। गौरतलब है कि 2020 के प्रेस नोट-3 के तहत चीन सहित पड़ोसी देशों से निवेश के लिए सरकारी मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी। वर्ष 2020 के प्रेस नोट-3 में बनाए गए नियमों के तहत चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए अभी तक पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसमें यह भी प्रावधान था कि चाहे निवेश किसी भी अन्य देश के माध्यम से आया हो, लेकिन यदि इसका लाभकारी स्वामित्व इन पड़ोसी देशों में स्थित हो, तो भी पूर्व सरकारी मंजूरी का यह प्रावधान लागू होता है। प्रेस नोट-3 से पहले भारत में अधिकांश क्षेत्रों से विदेशी निवेश स्वचालित मार्ग से आता था। गौरतलब है प्रेस नोट-3 का मुख्य उद्देश्य चीन से आने वाले निवेश के रास्ते में रूकावट लगाना था। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में खटास आ गई। उस दौर में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा गोपनीयता को प्राथमिकता देते हुए न केवल चीन से पूंजी निवेश पर रूकावटें खड़ी की, बल्कि टिकटॉक समेत 200 से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था।

हालांकि गलवान झड़प के बाद पिछले 5 सालों से अधिक समय से चीन ने सीमा विवाद खड़े करने समेत ऐसी कोई बड़ी आपत्तिजनक हरकत नहीं की है, लेकिन पूरी दुनिया ने इस बात को लेकर मतैक्य है कि चीन द्वारा विभिन्न माध्यमों से जासूसी करने और कंप्यूटर प्रणाली को हैक करने की सदैव प्रवृत्ति रही है, और इसमें कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ है और न ही सुधार की कोई आशा है। पिछले 5 सालों से अधिक समय से चीन के निवेश पर जो बंदिशें लगी हुई थी, अचानक उन्हें हटाने पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? छानबीन करने पर पता चलता है कि इस संबंध में नीति आयोग की सिफारिशें चीनी निवेश पर रोक हटाने का सबसे बड़ा कारण बनीं।

देखा जाए तो इन बंदिशों के कारण अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2025 के बीच चीन से एफडीआई भारत में आने वाली कुल एफडीआई का मात्र 0.32 प्रतिशत यानि 2.51 अरब डालर रहा। लेकिन जहां चीन से आने वाली एफडीआई कम होती गई, इस दौरान चीन से बढ़ते आयातों के चलते चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2024-25 में 99.2 अरब डालर तक पहुंच गया। प्रेस नोट-3 के लागू होने के पहले भारत के स्टार्ट-अप में चीनी निवेशक बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे थे। लेकिन 2020 के बाद सरकारी मंजूरी की बाध्यता के कारण चीनी निवेश धीमा हो गया। यही नहीं इस दौरान चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को न केवल नए ठेको से बाहर किया गया, बल्कि जिन ठेकों के बारे में निर्णय लंबित था, उनसे भी चीन को बाहर कर दिया गया।

चीन का भारत में किसी भी तरह का प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा सकता है।

— स्वदेशी संवाद

क्या है नीति आयोग की सिफारिशें?

सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने दो विकल्प सरकार के सामने रखे। पहला कि प्रेस नोट-3 को निरस्त कर दिया जाए और चीन से निवेश पूर्व की भांति बहाल किया जाए। नीति आयोग ने दूसरा विकल्प यह दिया कि चूंकि 2020 के बाद चीनी निवेश पर बंदिशें लगाने के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रभावित हुआ है, इसलिए किसी भी भारतीय कंपनी में 24 प्रतिशत

तक हिस्सेदारी वाले निवेश पर बिना किसी अनुमति के निवेश खोल दिया जाना चाहिए। इन सिफारिशों को मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है। नीति आयोग का यह कहना है कि चीन की बीवाईडी नाम की कंपनी द्वारा कार मैन्युफैक्चरिंग के संयुक्त उपक्रम में एक अरब डालर के निवेश का प्रस्ताव इन नियमों के कारण निरस्त हुआ। चीन के निवेश पर लगी रोक के कारण दक्षिण एशियाई देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहुत कम हो गया और देश में कुल निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक अरब डालर से भी कम रह गया।

इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण थिंक टैंक आईसीआरआईआईआर (इक्रियर) ने भी चीन से निवेश को बढ़ावा देने की सिफारिश कर दी। इक्रियर ने तो डिफेंस, टेलीकॉम, इन्फ्रास्ट्रक्चर और उभरती टेक्नोलॉजी को छोड़कर सभी गैर संवेदनशील मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए 49 प्रतिशत तक के पूंजी निवेश को अनुमति देने की सिफारिश की थी। लेकिन इसके साथ ही इक्रियर ने यह भी कहा कि चीनी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रवेश से पूर्व जांच संस्थागत सुरक्षा, स्वीकृति के बाद नियमित सुरक्षा, विदेशी स्वामित्व की एक केन्द्रीकृत रजिस्ट्री, आवश्यक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा समय-समय पर अनुपालन के स्वतंत्र ऑडिट सरीखी शर्तों के साथ यह अनुमति दी जानी चाहिए। विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की व्यवस्था की भी सिफारिश इक्रियर ने की।

अब चूंकि लगता है कि सरकार ने चीनी निवेश पर पूर्व अनुमति की शर्त हटाकर उसके लिए स्वचालित मार्ग खोलने का निर्णय ले लिया है, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि भारत की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर इसका क्या असर हो सकता है।

इस निर्णय के समर्थकों का मानना है कि इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र

में निवेश बढ़ेगा, जिससे उत्पादन, रोजगार और निर्यात बढ़ेंगे। इसके साथ ही समर्थकों का यह भी कहना है कि चीनी निवेश को अनुमति मिलने से स्टार्ट-अप को ज्यादा वित्त उपलब्ध होगा। देश में चीन की इलैक्ट्रॉनिक, इलैक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल और बैटरी टेक्नॉलोजी का हस्तांतरण संभव हो पाएगा। इसके साथ ही साथ देश में निवेश तो बेहतर होगा ही।

समझना होगा कि जब 2020 में चीनी निवेश पर रोक लगाई गई थी, तो जो इसके लाभ गिनाए जा रहे हैं, वे सब उस समय भी उपस्थित थे। लेकिन चाहे चीनी निवेश के समर्थक हो या विरोधी, इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि लगभग सभी चीनी कंपनियां या तो सरकारी स्वामित्व में हैं या पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में। इसलिए चीन का भारत में किसी भी तरह का प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जा सकता है। उदाहरण के लिए केमिकल उद्योग, दवा उद्योग या इलैक्ट्रिक कार उद्योग अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स सभी में सुरक्षा का जोखिम उपस्थित है। जहां इलैक्ट्रॉनिक्स और इलैक्ट्रिक कारों के माध्यम से डाटा की चोरी ही नहीं बल्कि देश में जासूसी करना भी आसान है। इसके साथ ही एग्रो केमिकल और दवा उद्योग के क्षेत्र में चीनी निवेश भारतीय कृषि और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा बन सकता है। गौरतलब है कि पहले से ही चीन एग्रोकेमिकल और बीज के क्षेत्र में सेंजेंटा सरीखी कंपनियों का अधिग्रहण कर पहले से ही एकाधिकार स्थापित कर चुका है। चीनी निवेश को अनुमति मिलने से और अधिक भारतीय कंपनियों का चीन द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है।

पूर्व में भी देश में चीनी निवेश के कारण भारत में वास्तविक मैन्युफैक्चरिंग के बजाय एसेंबलिंग को बढ़ावा मिला है। इसके कारण भारत स्वदेशी क्षमताओं के विकास के बजाय चीन के लिए एक

एसेंबलिंग का आधार बनकर रह गया है। ऐसे में चीन द्वारा जरूरी कलपुर्जों जैसे सेमी कंडक्टर, रेयर अर्थ मैटेरियल आदि की सप्लाई बाधित होने से देश में मैन्युफैक्चरिंग की क्षमताएं ध्वस्त हो सकती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि चीनी टेक्नॉलोजी, पूंजी या कंपोनेंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता रणनीतिक स्वायत्तता के लक्ष्य के विरुद्ध है।

यह भी देखने में आ रहा है कि जिस-जिस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग में चीनी कंपनियों का दबदबा हो जाता है, वहां-वहां स्थानीय कंपनियां प्रतिस्पर्द्धा से बाहर हो जाती है। गौरतलब है कि चीन की बीवाईडी नाम की इलैक्ट्रिक कार कंपनी ने अमरीका में टेस्ला कंपनी की वास्तविक बिक्री में 13 प्रतिशत की कमी कर दी है। यूरोप के 10 बड़े देशों में बीवाईडी की बिक्री मात्र एक ही साल 2025 में 4 गुणा हो चुकी है। स्पेन और ईटली में तो बीवाईडी ने पहले ही टेस्ला को बाजार से बाहर कर दिया और वहां के अन्य ब्रांडों को भी भारी नुकसान दिया है। यूरोपीय संघ ने चीन से आ रहे इलैक्ट्रिक वाहनों के आयात पर सब्सिडी की जांच शुरू कर दी है। पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में जापानी कारों का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। थाईलैंड में भी यही स्थिति है। मैक्सिको में बीवाईडी ने इलैक्ट्रिक वाहनों के आधे बाजार पर कब्जा कर लिया है। समझा जा सकता है कि चीनी निवेश न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्रभावित कर सकता है।

यही नहीं, विदेशी निवेश होने पर आगंतुक कंपनियां अपने मूल देश से कलपुर्जों मंगाती हैं, जिसका असर यह होता है कि देश की निर्भरता आयातों पर ओर अधिक बढ़ जाती है। मैन्युफैक्चरिंग में चीनी निवेश बढ़ने से इस बात की आशंका है कि चीन से व्यापार घाटा जो पहले ही 100 अरब डॉलर के आसपास है, और भी बढ़ सकता है। □□

नेपाल में सत्ता परिवर्तनः सकारात्मक सामरिक महत्व

भारत के जनमानस में राजनीतिक, सामरिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल के प्रति विशेष आकर्षण, सद्भाव एवं प्रेम है। भले ही भारत एवं नेपाल अलग राष्ट्र हैं परंतु दोनों देशों के बीच सदियों से रोटी – बेटी का संबंध है जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था से परे है। इसका विशेष कारण नेपाल का वस्तुतः हिंदु राष्ट्र और हिंदु बहुल होना है जहां इक्यासी प्रतिशत जनता हिंदु है। पिछले कुछ समय से वामपंथी शासन और प्रशासन में भ्रष्टाचार, रोजगार – व्यापार में अविकास, युवाशक्ति के प्रति सरकारों की अकर्मण्यता और चीन की नेपाल के शोषणकारी नीतियों के विरोध में विद्रोह के पश्चात नेपाल में चुनावों में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन हुआ है। पिछले पैंतीस वर्षों से वामपंथी दलों और सहयोगी दलों गठबंधनों के मध्य के पी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के बीच सत्ता झूल रही थी। इस बार राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी ने 'प्रचंड' बहुमत से कुल 165 में से 125 सीटों पर विजय के साथ वामपंथी शासन तंत्र को उखाड़ फेंका है। यह विजय असाधारण है और जनमानस के वामपंथी राजनीतिक इकोसिस्टम के प्रति विद्रोह को परिलक्षित करता है। विश्व भर में विशेषकर भारत में जितने भी वामपंथी दल हैं वह चीन के समर्थक हैं और चीन का एकमात्र लक्ष्य उस देश के संसाधनों का शोषण और उस देश की अर्थव्यवस्था को चीन – निर्भर बनाना है। वामपंथी दलों और उनके गठबंधनों के शासन का सीधा अर्थ है कि वह देश चीन की सैटेलाइट कालोनी बन कर रह जायेगा। उस की अखंडता और संप्रभुता पर भी भय रहेगा और सत्ता परिवर्तन भी चीन की सहमति से होगा। नेपाल के साथ भी यही हुआ है। नेपाल के लाखों युवा युरोप, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, आस्ट्रेलिया, मध्यपूर्व देशों, अमेरिका में पलायन करने को विवश हैं। यद्यपि भारत में वह सम्मान और आत्मीयता के साथ रहते हैं और भारत के जनमानस में रचे बसे हैं। कुछ समय पूर्व आस्ट्रेलिया के सिडनी में के मार्ट माल में इंडिया होटल रेस्टोरेंट की स्वामिनी जानकी से भेंट हुई और फिर इस्कॉन मंदिर सिडनी में नेपाली युवाओं और भक्तों से भेंट हुई उसके बाद सिडनी हार्बर के रेस्टोरेंट में नेपाली कर्मियों से भेंट हुई परंतु उन सब के मन में अपने देश से विवशतावश दूर रहने की टीस थी।



नेपाल को अपनी विदेश नीति में बड़े परिवर्तन करने होंगे और भारत को अपने पड़ोसी देशों में नेपाल को सबसे अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
– विनोद जौहरी



जिस देश की कुल तीन करोड़ की जनसंख्या में से भी लाखों युवा देश से पलायन करने को विवश हों, उस देश का भविष्य कितना अंधकारमय हो सकता है यह नेपाल के वामपंथी शासकों ने कभी समझा नहीं। नेपाल में इस बार चुनाव के दौरान युवाओं का बड़े पैमाने पर विदेश जाना एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। देश में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण हर साल बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में खाड़ी देशों, मलेशिया और अन्य देशों का रुख करते हैं। इसका असर नेपाल की अर्थव्यवस्था, समाज और परिवारों पर भी पड़ रहा है।

वर्ष 2022 का काठमांडू मेयर चुनाव निर्दलीय के रूप में जीतकर राजनीति में प्रवेश करने वाले पूर्व रैंपर शाह जनवरी में आरएसपी में सम्मिलित हुए और उसके प्रधानमंत्री पद के संभावित प्रत्याशी बन गये। 35 वर्ष के इस राजनीतिज्ञ ने 74 साल के ओली को उनके गढ़ झापा में तकरीबन 50,000 वोटों से पराजित किया। युवाशक्ति ने जब राजनीतिक नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव और ओली-दहल-देउबा की तिकड़ी से निर्णायक छुटकारे की मांग की, तो बालेन्द्र शाह उनके हृदय सम्राट बने। आरएसपी की विजय का मापदंड, जिसमें काठमांडू घाटी की सभी 15 सीटों पर भारी विजय है, युवाशक्ति के असंतोष की सशक्त अभिव्यक्ति है। भारत से बालेन्द्र शाह का संबंध गहरा है। उन्होंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक विश्वैवरैरिया टैक्निकल विश्वविद्यालय वर्ष 2018 में से बंगलौर, कर्नाटक से प्राप्त की।

नेपाल की राजनीतिक परिस्थितियों में बालेन्द्र शाह का प्रधानमंत्री बन गये हैं। यद्यपि वर्तमान में एकाधिकार और विस्तार के महत्वाकांक्षी देशों को यह सनक सवार है कि विभिन्न देशों में सत्ता परिवर्तन उनकी सहमति से हो भले ही वह राजनैतिक मर्यादा के अंतर्गत नये शासकों का सम्मान करें।

यह निश्चित है कि भारत-नेपाल संबंधों में भारत की प्राथमिकता नेपाल का विकास और संप्रभुता है। नेपाल के लिए भी चीन और अमेरिका से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और हितकारी भारत से मित्रता है। नेपाल के नये प्रधानमंत्री के लिए उनके शासनतंत्र, शिक्षा व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी में वामपंथी प्रभाव एक गंभीर चुनौती है। भारत के लिए भी आवश्यक है कि नेपाल की सुरक्षा के प्रति गंभीर प्रयास किया जाये और नेपाल की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने। इसके लिए आवश्यक है कि भारत और नेपाल के उद्योगपति संयुक्त उपक्रम स्थापित करें और आपसी पारगमन में सुविधाजनक

व्यवस्था सुनिश्चित की जाये जिसमें भारत विरोधी तत्वों के भारत प्रवेश पर नियंत्रण रहे।

भारत और नेपाल के जनमानस में जितना अधिक संपर्क बढ़ेगा, युवाशक्ति का शिक्षा, खेलों और पर्यटन में आपसी समन्वय स्थापित होगा, सरकार और मंत्री स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा, नेपाल को अपनी आवश्यकताओं के लिए अन्य देशों और वैश्विक संगठनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नेपाल को अपनी विदेश नीति में बड़े परिवर्तन करने होंगे और भारत को अपने पड़ोसी देशों में नेपाल को सबसे अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। □□

(पृष्ठ 7 से आगे ...)

ई-ट्रांसमिशन कस्टम ड्यूटी पर रोक हटाने का समय ...

डब्ल्यूओ मंत्रिस्तरीय बैठक में, अमेरिका और चीन जैसे देश, यूरोपीय देशों के साथ मिलकर, डिजिटल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में दी गई छूट को हमेशा के लिए लागू करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि ई-ट्रांसमिशन का मुद्दा अब पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है, खासकर तब के मुकाबले, जब 1998 में डब्ल्यूओ मंत्रिस्तरीय बैठक में पहली बार इस छूट का मुद्दा उठा था।

हम समझते हैं कि अमेरिका (और चीन) ने एआई के क्षेत्र में एकाधिकार बना लिया है, जो बिना किसी सीमा-शुल्क के पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हैं। अगर इन देशों को बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए एआई उत्पाद भेजने की और इजाजत दी गई, तो बाकी देशों को एआई से होने वाली टैक्स आय से हाथ धोना पड़ेगा; जबकि एआई, सीमा-पार होने वाले आर्थिक लेन-देन और राष्ट्रीय

अर्थव्यवस्थाओं दोनों पर ही हावी रहेगा।

साथ ही एआई से होने वाले रोजगार नुकसान के मद्देनजर इसको टैक्स और दूसरे माध्यमों से नियंत्रित करने की भी आवश्यकता होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने एक विचार सामने रखा है, और सुझाव दिया है कि "जो कंपनियाँ मजदूरों की जगह एआई का इस्तेमाल करती हैं और ज्यादा मुनाफ़ा कमाती हैं, उन्हें उस अतिरिक्त मुनाफ़े पर टैक्स देना पड़ सकता है, ताकि रोजगार छिनने की भरपाई हो सके।"

लेकिन अगर हम एआई सेवाओं को विदेशों से बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भारतीय बाजारों में आने देते हैं, तो हमारे पास देश के अंदर दी जाने वाली एआई सेवाओं से लाभ पर टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इसलिए, एआई को नियंत्रित करने का एक नीतिगत ज़रिया हमारे हाथ से निकल जाएगा। □□

पश्चिम एशिया युद्ध के बीच भारत की रसोई गैस सुरक्षा पर बड़ा संकट

पश्चिम एशिया में भड़का युद्ध अब केवल भू-राजनीति का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे भारत की रसोई और अर्थव्यवस्था तक पहुंच चुका है। अमेरिका-ईरान संघर्ष और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में पैदा हुई अस्थिरता ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने रसोई गैस यानी एलपीजी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू खपत के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। यह कदम बताता है कि संकट की स्थिति में सरकार की पहली प्राथमिकता आम नागरिकों की रसोई को सुरक्षित रखना है। भारत की ऊर्जा संरचना का एक बड़ा सच यह है कि देश अपनी जरूरतों के मुकाबले एलपीजी का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में भारत में कुल 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत हुई, जबकि घरेलू उत्पादन केवल 12.8 मिलियन टन रहा। यानी देश की कुल जरूरत का लगभग 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात के सहारे पूरा होता है। यही वजह है कि जब भी खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सीधे भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ता है। भारत के लिए यह निर्भरता इसलिए भी जोखिमपूर्ण है क्योंकि एलपीजी का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। अनुमान है कि भारत के एलपीजी आयात का लगभग 85-90 प्रतिशत हिस्सा सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से आता है। इन सभी देशों से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, जो विश्व ऊर्जा व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री गलियों में से एक है। जब यह मार्ग युद्ध या तनाव के कारण बाधित होता है तो पूरी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। मौजूदा संघर्ष में भी यही स्थिति



भारत के सामने चुनौती यही है कि वह इस संकट को चेतावनी के रूप में ले और अपनी ऊर्जा नीति को अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए।
— अजय कुमार



दरअसल यह संकट केवल तत्कालीन आपूर्ति का नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का भी सवाल है। पिछले एक दशक में देश में एलपीजी की खपत तेजी से बढ़ी है। उज्ज्वला योजना और शहरीकरण के कारण करोड़ों नए परिवार गैस पर निर्भर हो गए हैं। यही वजह है कि एलपीजी की मांग लगातार बढ़ रही है और आयात पर निर्भरता भी बढ़ती जा रही है।

पैदा हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण इस समुद्री मार्ग में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे वैश्विक तेल और गैस बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है और कई देशों ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आपात योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। भारत ने भी इसी पृष्ठभूमि में एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रावधानों का सहारा लिया है।

सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर नियंत्रित करने का फैसला किया है। इसके तहत घरेलू रसोई गैस की सप्लाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। साथ ही पाइपड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और वाहनों के लिए सीएनजी की आपूर्ति को भी 100 प्रतिशत सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा उर्वरक संयंत्रों को लगभग 70 प्रतिशत और उद्योगों को लगभग 80 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था तय की गई है। इन कदमों का उद्देश्य स्पष्ट है अगर ऊर्जा संकट गहराता है तो सबसे पहले घरों और परिवहन क्षेत्र को गैस मिलेगी, उसके बाद उद्योगों और अन्य क्षेत्रों को। सरकार ने एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग नियम भी लागू किया है, ताकि कोई भी उपभोक्ता तय समय से पहले सिलेंडर

बुक न कर सके। लेकिन इस नीति का असर व्यावसायिक क्षेत्रों पर दिखने लगा है। देश के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति घटने लगी है। होटल और रेस्टोरेंट उद्योग से जुड़े संगठनों का कहना है कि कई स्थानों पर कमर्शियल गैस की सप्लाई 10 से 20 प्रतिशत तक कम हो गई है। इससे खासतौर पर छोटे और मध्यम आकार के होटल-रेस्टोरेंट पर बड़ा दबाव पड़ा है, जो रोज मिलने वाली गैस सप्लाई पर ही निर्भर रहते हैं। कुछ शहरों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि होटल संगठनों ने कारोबार बंद होने की चेतावनी तक दे दी है। उनका कहना है कि अगर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति नहीं होती तो कई रेस्टोरेंट अगले कुछ दिनों में बंद होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। इसका असर केवल कारोबारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन लाखों कर्मचारियों और ग्राहकों पर भी पड़ेगा जो रोजमर्रा के भोजन के लिए इन प्रतिष्ठानों पर निर्भर हैं। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए तेल विपणन कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति भी बनाई है। यह समिति होटल, रेस्टोरेंट और अन्य उद्योगों की गैस जरूरतों की समीक्षा करेगी और तय करेगी कि सीमित संसाधनों के बीच इन क्षेत्रों को कितनी आपूर्ति दी जा सकती है।

दरअसल यह संकट केवल तत्कालीन आपूर्ति का नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति का भी

सवाल है। पिछले एक दशक में देश में एलपीजी की खपत तेजी से बढ़ी है। उज्ज्वला योजना और शहरीकरण के कारण करोड़ों नए परिवार गैस पर निर्भर हो गए हैं। यही वजह है कि एलपीजी की मांग लगातार बढ़ रही है और आयात पर निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए कई स्तरों पर तैयारी करनी होगी। सबसे पहला कदम घरेलू उत्पादन बढ़ाने का है। इसके लिए नई रिफाइनरियों, गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों और पेट्रोकेमिकल ढांचे में निवेश बढ़ाना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना है, ताकि खाड़ी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता कम हो सके। इसके अलावा एलपीजी के रणनीतिक भंडार तैयार करने की जरूरत भी लंबे समय से महसूस की जा रही है। जिस तरह भारत ने कच्चे तेल के लिए रणनीतिक भंडारण बनाए हैं, उसी तरह एलपीजी के लिए भी बड़े भंडार तैयार किए जाएं तो संकट की स्थिति में कुछ महीनों तक घरेलू जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। पश्चिम एशिया का मौजूदा युद्ध शायद कुछ समय बाद खत्म हो जाए, लेकिन इसने भारत को एक अहम सबक जरूर दिया है। ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक नीति का विषय नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा सवाल है। जब वैश्विक भू-राजनीतिक संकट पैदा होता है तो उसका असर सबसे पहले आम नागरिक की रसोई पर पड़ता है। भारत के सामने चुनौती यही है कि वह इस संकट को चेतावनी के रूप में ले और अपनी ऊर्जा नीति को अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए। क्योंकि जब तक देश अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहेगा, तब तक दुनिया के किसी भी कोने में भड़की आग उसकी रसोई तक पहुंचती रहेगी। □□

उपज बढ़े पर पौष्टिकता भी बचे



मोटे अनाज यानी बाजरा की उच्च उपज वाली किस्में विकसित करने का औचित्य नहीं है, क्योंकि फसल की उत्पादकता जितनी अधिक होती है, उसके पोषक तत्वों में उतनी ही गिरावट आती है। उच्च उत्पादकता से मोटे अनाज उस लाभ को खो देंगे, जिनके लिए वे जाने जाते हैं।
— देविन्दर शर्मा

बीसवीं सदी के सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक माने जाने वाले अब्राहम मैस्लोव ने मानवीय प्रेरणा को संचालित करने वाले कारकों की व्याख्या करने के लिए आवश्यकताओं के पदानुक्रम का एक सिद्धांत विकसित किया था उनका वह सिद्धांत एक सरल व्याख्या पर आधारित था यदि आपके पास एकमात्र उपकरण हथौड़ा है, तो वह हर चीज को कील समझकर ही व्यवहार करता है। इसका सीधा मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी खास उपकरण, दृष्टिकोण या किसी तकनीकी उपकरण से परिचित है, तो वह मानता है कि यह किसी भी समस्या

के समाधान का एकमात्र तरीका है, चाहे वह कितना ही अजीब क्यों न हो। सोच में अंतर्निहित यह पूर्वाग्रह ही शायद दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिकों को कम उपज वाले बाजरा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरीड ट्रॉपिक्स (आईसीआरआईएसएटी) से लेकर भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च) तक, और अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिकों द्वारा अब उच्च उपज वाली बाजरा की किस्मों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। एक पादप प्रजनक के रूप में प्रशिक्षित होने के नाते मुझे लगता है कि उच्च उपज वाली फसल की किस्में विकसित करने के लिए एक वैज्ञानिक तंत्र विकसित करना फसल उत्पादकता बढ़ाने और इस तरह वैश्विक भूख मिटाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण रहा है। इसी वजह से पादप प्रजनक नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले बोरलॉग ने गेहूं के चमत्कारी बने बीज विकसित किए थे। उसके बाद धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास हुआ और फिर अन्य फसलों के लिए भी।

लेकिन ऐसे समय में जब हम दुनिया को दो बार खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करते हैं, मुझे पादप वैज्ञानिकों (और नीति निर्माताओं) द्वारा उच्च उपज वाली किस्में विकसित करने और बाजरा में जैव-फोर्टिफिकेशन (किसी खाद्य फसल के सूक्ष्म पोषक तत्वों को बढ़ाने की प्रक्रिया) के लिए दिखाए जा रहे उत्साह के पीछे का तर्क समझ में नहीं आता मुझे लगता है कि वह दृष्टिकोण बेहद गलत है, क्योंकि ग्लूटेन (लस) मुक्त बाजरा न केवल सूखा प्रतिरोधी है, बल्कि इसमें प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्व, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट भी प्रचुर हैं। चूंकि बाजरा पहले से ही पोषक तत्वों से भरपूर है, ऐसे में, हमारा जोर बाजरा के साथ पूरक आहार लेने पर होना चाहिए। नीति निर्माताओं को बाजरा उत्पादन बढ़ाने के बारे

में अधिक कल्पनाशील होना चाहिए, न कि उसी पूर्वाग्रह का पालन करना चाहिए, जिस पर औद्योगिक खेती निर्भर करती है फसल उत्पादकता में वृद्धि कर बफर स्टॉक बढ़ाना।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि उच्च उपज वाली फसल की किस्मों में व संकर नस्ल विकसित करने के क्रम में आनुपातिक रूप से उनमें पोषक तत्वों में भी उतनी ही गिरावट आती है। यानी फसल की उत्पादकता जितनी अधिक होती है, उसके पोषक तत्वों में उतनी ही गिरावट आती है। यह मुख्य सिद्धांत है, जो पादप प्रजनन हमें सिखाता है, लेकिन अधिक उत्पादकता के चक्कर में हम इसे भूल जाते हैं दोहराव के जोखिम के बावजूद यह बताना जरूरी है कि औसतन 15 से 40 फीसदी तक गिरावट आती है, जबकि गेहूँ के मामले में कोबाल्ट जैसे कुछ खनिजों की उपलब्धता तो 80 प्रतिशत तक घट जाती है। ऐसा माना जाता है कि गेहूँ में कोबाल्ट जैसे ट्रेस खनिज (जीवित उत्तकों में मौजूद पोषक खनिज) की हिस्सेदारी में भारी गिरावट के कारण कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ गया है, नतीजतन हृदय रोगों में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, कंसास यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन ने पहले ही बता दिया था कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फसल की किस्मों में छह पोषक

तत्वों (प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस, राइबोफ्लेविन और एस्कॉर्बिक एसिड) में गिरावट देखी गई है। पोषक तत्वों में गिरावट प्रोटीन में छह प्रतिशत से लेकर राइबोफ्लेविन में 38 फीसदी तक होती है।

इसका मतलब है कि हम जो खाना खाते हैं, वह धीरे-धीरे खोखला होता जा रहा है। आप इससे पेट तो भर सकते हैं, लेकिन खाद्यान्न उन तत्वों से वंचित रह जाता है, जो ताकत और स्वस्थ विकास प्रदान करते हैं। यदि ऐसा है, तो मोटे अनाज यानी बाजरा की उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने का औचित्य नहीं है, क्योंकि तब वे आवश्यक पोषक तत्वों से रहित हो जाएंगे मोटे अनाज में गेहूँ और चावल की तुलना में 30 से 300 फीसदी अधिक पोषक तत्व होते हैं। उच्च उत्पादकता के लिए प्रजनन करने से मोटे अनाज निश्चित रूप से उस लाभ को खो देंगे, जिनके लिए वे जाने जाते हैं। पहले से ही 25 तरह के अधिक उपज देने वाले और रोग प्रतिरोधी संकर बाजरा विकसित किए जा चुके हैं। अन्य 35 संकर ज्वार भी विकसित किए गए हैं। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये उतने ही पौष्टिक हैं या उससे अधिक, जितने कि वर्तमान में किसान खेती कर रहे हैं।

बाजरा का ही उदाहरण लीजिए

पौधों में उपलब्ध आयरन और जिंक की उच्च क्षमता से आयरन और जिंक के साथ बायो-फोर्टिफाइड संकर बाजरा विकसित किया जाता है, जो 30-140 मिलीग्राम आयरन प्रति किलो और 20-90 मिलीग्राम जिंक प्रति किलो के बीच होता है। लेकिन जैसा कि आईसीआरआईएसएटी के एक अध्ययन ने दर्शाया था कि, विकसित वाणिज्यिक संकरों में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है— प्रति किलो में 42 मिलीग्राम आयरन और 31 मिलीग्राम प्रति किलो जस्ता। यदि बाजरे की अधिक उपज देने वाली और संकर किस्मों के पोषक गुणों पर ज्यादा अध्ययन किया जाए, तो हमें इसके पोषण स्तर में गिरावट के बारे में अधिक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी बाजरा को बढ़ावा देने के लिए और अधिक व्यापक दृष्टि का आह्वान करते हुए पत्रकार विभा वार्षीय ठीक ही कहती हैं— 'यदि संकर किस्म जंगली किस्मों की तरह पौष्टिक नहीं हैं, तो उन्हें पोषक — अनाज के रूप में प्रचारित करना ठीक नहीं लगता।'

हम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि बाजरा खोखला भोजन बने। बाजरा को बाजरा ही रहने दें, क्योंकि अपनी पौष्टिकता के कारण ही वह जाना जाता है।



(देविदर शर्मा, कृषि नीति विशेषज्ञ)

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवेदना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते हैं तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022

स्वच्छ पर्यावरण को व्यापक वृक्षारोपण की आवश्यकता है

एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण मानव जीवन और सतत विकास की नींव है। हाल के दशकों में, तेजी से औद्योगीकरण, शहरी विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण गंभीर पर्यावरणीय गिरावट आई है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की कमी स्पष्ट चेतावनी हैं कि हमारा पर्यावरण तनावग्रस्त है। इनमें से कई पर्यावरणीय समस्याओं का सबसे सरल किन्तु सबसे शक्तिशाली समाधान पर्याप्त वृक्षारोपण और पेड़ों तथा हरे आवरण की सुरक्षा है।

पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया वायुमंडल में गैसों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे हवा मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ हो जाती है। जब पेड़ों को उचित रूप से पुनः रोपे बिना काटा जाता है, तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है और वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है।

जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी व्यापक वृक्षारोपण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेड़ कार्बन सिंक का काम करते हैं, बड़ी मात्रा में कार्बन को संग्रहीत करते हैं और वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को कम करते हैं। इसलिए, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

पेड़ों का एक और महत्वपूर्ण लाभ मिट्टी और जल संसाधनों की रक्षा में उनकी भूमिका है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक साथ रखती हैं और कटाव को रोकती हैं, विशेष रूप से भारी



वृक्षारोपण के माध्यम से प्रकृति की रक्षा करना मानवता के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में सबसे प्रभावी कदमों में से एक है।
— डॉ. विजय गर्ग



पर्यावरण

बारिश और बाढ़ के दौरान। पेड़ भूजल को पुनः चार्ज करने तथा श्वसन के माध्यम से प्राकृतिक जल चक्र को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। पर्याप्त वनस्पति के बिना, भूमि शुष्क और बांझ हो जाती है, जो कृषि और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती है।

वृक्षारोपण जैव विविधता को भी समर्थन देता है। जंगल और हरित क्षेत्र पक्षियों, जानवरों और कीटों को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे जंगल लुप्त होते हैं, कई प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा रहता है। अधिक पेड़ लगाकर और मौजूदा जंगलों की सुरक्षा करके, हम वन्यजीवों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं और हमारे ग्रह की समृद्ध जैव विविधता को बनाए रख सकते हैं।

शहरी क्षेत्रों में, पेड़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, छाया प्रदान करते हैं, तथा शीतलन प्रभाव पैदा करके तापमान को

कम करते हैं। जिन शहरों में कंक्रीट संरचनाएं परिदृश्य पर हावी होती हैं, वहां हरित स्थान निवासियों के जीवन की गुणवत्ता और मानसिक कल्याण को बेहतर बनाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि हरित वातावरण में रहने वाले लोगों का तनाव कम होता है और उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है।

हालाँकि, वृक्षारोपण केवल सरकारी कार्यक्रमों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। जनता की भागीदारी आवश्यक है। स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और व्यक्तियों को वृक्षारोपण अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। पेड़ लगाना केवल पहला कदम है; जब तक वह एक मजबूत पौधे में विकसित नहीं हो जाता, तब तक उसका पोषण और सुरक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

दुनिया भर की सरकारें वृक्षारोपण के महत्व को तेजी से पहचान रही हैं। भारत में, ग्रीन इंडिया मिशन जैसी पहल

वानिकीकरण और क्षतिग्रस्त जंगलों की बहाली को प्रोत्साहित करती हैं। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार करना है।

निष्कर्षतः, पर्याप्त वृक्षारोपण केवल एक पर्यावरणीय गतिविधि नहीं है; यह भावी पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है। स्वच्छ वातावरण, स्थिर जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और समृद्ध जैव विविधता सभी पेड़ों की उपस्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनकाल में कुछ पेड़ भी लगाए और उनकी रक्षा करे, तो सामूहिक प्रयास हमारे ग्रह को एक हरित और स्वस्थ स्थान में बदल सकता है। इसलिए, वृक्षारोपण के माध्यम से प्रकृति की रक्षा करना मानवता के लिए एक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में सबसे प्रभावी कदमों में से एक है। □□

(डॉ. शिव्या गर्ग, सेवापिपता प्रथम शैक्षिक स्तम्भकार)

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर छिपाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि "स्वदेशी पत्रिका" के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :-

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/- रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/- रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)**

में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजें।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर-8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-22



राष्ट्रीय परिषद बैठक

7, 8 मार्च 2026 – जयपुर (राजस्थान)

प्रथम सत्र (उद्घाटन सत्र)

दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद बैठक का शुभारंभ भारत माता, दीनदयाल उपाध्याय एवं दत्तोपंत टेंगडी जी के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण से हुआ। मंच पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सरकार्यवाह व वर्तमान में अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य मा. वी. भाग्येया जी, अ.भा. संयोजक श्री आर. सुंदरम जी, अ.भा. संगठक श्री कश्मीरी लाल जी, अ.भा. सहसंयोजक डॉ भगवती प्रकाश शर्मा जी, डॉ अश्वनी महाजन जी, डॉ धनपत राम अग्रवाल जी, डॉ राजकुमार मित्तल जी, अ.भा. सह संगठक श्री सतीश कुमार जी एवं श्रीमती अर्चना मीना जी (अ.भा. महिला प्रमुख) उपस्थित रहें।

दीप प्रज्ज्वलन के उपरांत अधिकारियों का स्वागत एवं परिचय कराया गया। इसके पश्चात श्री आर. सुंदरम ने उद्घाटन उद्बोधन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यह क्षण उनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब वे पिछले 35 वर्षों की यात्रा को स्मरण करते हैं, इस अवधि में स्वदेशी जागरण मंच ने भारत के लगभग तीन-चौथाई भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार किया है और देश के लगभग सभी राज्यों के 500 से अधिक जिलों तक अपनी पहुँच बनाई है। पिछले तीन दशकों में वैचारिक स्तर पर भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है,

जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश कार्यकर्ताओं ने वैश्विक आर्थिक व्यवस्थाओं के साथ-साथ भारतीय विकास की अवधारणा को भी गहराई से समझा है।

विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों ने भी जागरूकता फैलाने तथा स्वावलंबी भारत अभियान के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक परिस्थितियाँ समय-समय पर बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए, 1991 में भारत को गंभीर ऋण संकट का सामना करना पड़ा था, किंतु उसके बाद के दशक में देश ने व्यापक आर्थिक सुधारों और विकास का अनुभव किया।

आज देश "विकसित भारत 2047" के संकल्प की दिशा में अग्रसर है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और उच्च आर्थिक विकास आवश्यक होगा। लगभग 35 करोड़ लोगों की बड़ी जनसंख्या, जो लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या के बराबर है, को प्रेरित कर आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से जोड़ना होगा। इस जनशक्ति को संगठित करके देश अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।

श्री सतीश कुमार ने दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद बैठक के मुख्य विषय बिन्दुओं एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले दिनों देश भर में स्वदेशी संकल्प यात्राएं एवं स्वदेशी संकल्प दौड़ आदि अनेक कार्यक्रम भी आयोजित

किए गए, जिनमें समाज के विभिन्न वर्गों की व्यापक भागीदारी रही। स्वदेशी व्यापारी जुटान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में नगर एवं ब्लॉक स्तर पर स्वदेशी टीमों के गठन के लिए कार्य किया जा रहा है। इस उद्देश्य से बस्ती और ग्राम स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को संगठित करने पर विशेष बल दिया गया है।

विकेंद्रित अर्थव्यवस्था हो उसके लिए स्थानीय संसाधनों को संगठित करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। प्रत्येक ज़िले को अपने ज़िले की योजनाएं बनानी हैं। क्षेत्र स्तर पर अपना-अपना कार्यक्रम, पंचाग हमें स्वयं तय करना होगा।

डॉ दीपक शर्मा (पूर्वोत्तर क्षेत्र संयोजक) द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों के संकलन की पुस्तिका का विमोचन मंचासीन अधिकारियों द्वारा किया गया।

उसके पश्चात सभी क्षेत्रों के कार्यवृत्त हुए। दक्षिण क्षेत्र—श्री सत्यनारायण (क्षेत्र समन्वयक), दक्षिण मध्य क्षेत्र—श्री लिंगामूर्ति (क्षेत्र संयोजक), पश्चिम क्षेत्र—श्री विनय खटावकर (क्षेत्र समन्वयक), मध्य क्षेत्र—श्री सुधीर दाते (क्षेत्र संयोजक), राजस्थान क्षेत्र—श्री सतीश आचार्य (क्षेत्र संयोजक), उत्तर क्षेत्र—श्री राजेश गोयल (क्षेत्र संयोजक), पश्चिमी उत्तर प्रदेश—डॉ. अमितेश (क्षेत्र संयोजक) द्वारा दिया गया।

सत्र का संचालन डॉ राजीव कुमार (अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख) द्वारा किया गया।

द्वितीय सत्र

इस सत्र में शेष बचे क्षेत्रों के कार्यवृत्त प्रस्तुत किये गये। पूर्वी उत्तर प्रदेश—श्री अनुपम श्रीवास्तव (क्षेत्र संयोजक), बिहार—झारखंड क्षेत्र—श्री अमरेंद्र (क्षेत्र संयोजक), पूर्वी क्षेत्र—श्री प्रसन्न क्षोत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र—डॉ दीपक शर्मा (क्षेत्र संयोजक) द्वारा दिया गया।

इसी सत्र में जागृति यात्रा के संयोजक एवं उत्तर प्रदेश में देवरिया से सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी ने जागृति मिशन यात्रा पर संक्षिप्त कार्यवृत्त सभी के समक्ष रखा। विशेषतः गोरखपुर के स्वावलंबन केंद्र, जिसके माध्यम से 300 से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया, इस पर भी उन्होंने जानकारी साझा की। उन्होंने बरगद क्रांति की आवश्यकता की ओर भी ध्यान दिलाया।

अखिल भारतीय सह-संयोजक एवं स्वावलंबी भारत अभियान के समन्वयक डॉ भगवती प्रकाश शर्मा ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की बात को सबके समक्ष रखते हुए कहा कि भारत की 146 करोड़ की जनसंख्या पचास देशों की जनसंख्या से अधिक है और 117 ट्रिलियन डॉलर की विश्व की जीडीपी है। प्रति व्यक्ति आय अमेरिका में 92,000 डॉलर, चाइना में 14,000 डॉलर और भारत में केवल 343

डॉलर है। आज बहुत सारी चुनौतियां भारत के समक्ष है कि विश्व के 60 प्रतिशत कुल उत्पादन में सिर्फ चार देशों का योगदान सर्वाधिक है, जिसमें सबसे अधिक 32 प्रतिशत चाइना, 16 प्रतिशत अमरीका और केवल 2.9 प्रतिशत भारत का है। उन्होंने बताया कि 1992 में डंकल ड्राफ्ट और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के स्थापना के समय से ही स्वदेशी जागरण मंच ने देश में एक वैचारिक आंदोलन खड़ा किया। आगे चलकर स्वदेशी विचार और समझौतों ने देश को आर्थिक नीतियों के निर्माण तथा उनके वित्तीय प्रभावों को समझने की दिशा प्रदान की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि वैश्विक स्तर पर बड़ी कंपनियाँ और शक्तियाँ भी आज स्वदेशी जागरण मंच की गतिविधियों से प्रभावित हैं।

संघ की ओर से संपर्क अधिकारी माननीय श्री भाग्यैया जी का इस सत्र में मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कहा कि स्वदेशी केवल नारा नहीं अपनी जीवन शैली है कि हम सबका मानवता की रक्षा का दायित्व है और सृष्टि का कल्याण सदा से ही भारत का मूल मंत्र रहा है। स्वदेशी का मूल मंत्र भी प्रकृति का पोषण करना है न कि प्रकृति को नुकसान पहुँचाना है। तात्कालीन विषयों का सामना करना है परंतु शाश्वत विषय को भी हमें ध्यान में रखना है। सच्चे अर्थ में सामान्य आदमी के कल्याण के लिए बात करनी चाहिए। आज यथा राजा तथा प्रजा तंत्र चलता है। परिश्रम करने की भावना को और सुदृढ़ करना है। उन्होंने श्रद्धेय दत्तोपंत टेंगड़ी जी द्वारा कार्यकर्ता के अपेक्षित कार्यों और कार्य करने की शैली को बार-बार अनुसरण करने का आह्वान करने को कहा, जिससे हम भारत में ही नहीं वरन विश्व के कल्याण के विषय में भी सोच सकते हैं।

सत्र का संचालन अखिल भारतीय संघर्ष वाहिनी प्रमुख श्री अन्नदा शंकर पाणिग्रही ने किया।

महिला कार्यकर्ता बैठक

भोजन के उपरांत महिला कार्यकर्ताओं की एक संक्षिप्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से आई 56 बहनों ने बैठक में सक्रिय सहभागिता की। इस बैठक में श्री सतीश कुमार, श्रीमती अर्चना मीना तथा डॉ. जितेंद्र गुप्त (अ.भा. समन्वयक, स्वावलंबी भारत अभियान एवं महिला कार्य के पालक अधिकारी) की विशेष उपस्थिति रही। देशभर से प्रांत महिला प्रमुखों के साथ परिचय एवं संवाद हुआ।

बैठक के दौरान स्वदेशी जागरण मंच में महिला कार्य की आवश्यकता, स्वावलंबी भारत अभियान, तथा स्वदेशी विचारों के विस्तार में महिलाओं की संभावित भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। अर्चना मीना ने "स्वदेशी परिवार – विकसित

भारत का आधार" विषय पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए सभी बहनों से इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसे परिवार, समाज, राष्ट्र तथा प्रकृति के व्यापक हित में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों और बदलते सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस प्रकार विविध क्षेत्रों से आई महिलाओं की सक्रिय उपस्थिति ने बैठक को सार्थक और प्रेरणादायक बनाया।

तृतीय सत्र

इस सत्र में दो व्यापारी संगठनों के प्रमुखों द्वारा व्यापारियों के समक्ष आनलाइन व्यापार से बढ़ती चुनौतियों एवं इसे लेकर बड़े अभियान के सम्बन्ध में चर्चा की। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजीकृत) के अध्यक्ष श्री संदीप बंसल (लखनऊ) ने बताया कि उनका संगठन देशभर में 19 मार्च को हिंदू नववर्ष के निमित्त देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने वाला है। देश के बड़े व्यापारिक संगठन कैट के अध्यक्ष श्री बी.सी. भरतिया ने बताया कि तकनीकी नवाचार और बदलावों को हमें अपनाना ही होगा, इसे हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। हमें ऑनलाइन व्यापार पर विचार करना होगा। हमें व्यापारी को यह सिखाने की आवश्यकता है कि वह हर खरीदार तक पहुँचें।

डॉ राजकुमार मित्तल द्वारा डिजिटल युद्ध में पारिवारिक सिस्टम व टेक्नोलॉजी जोन-फ्री एरिया के विषय पर दिए गए विचारों में उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी का अत्यधिक प्रयोग मनुष्य की रचनात्मकता को लगातार कम कर रहा है। कई देश इस क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ बच्चों और वयस्कों को कुछ समय के लिए टेक्नोलॉजी से मुक्त क्षेत्रों में रखा जा रहा है, ताकि उनकी प्राकृतिक रचनात्मकता, सामाजिक कौशल और पारिवारिक बंधन मजबूत हो सकें।

उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा बताई 'MANAV' कॉन्सेप्ट को विस्तार से समझाया, जो मानव-केंद्रित विकास और नैतिकता पर आधारित है। इसमें प्रत्येक अक्षर का अर्थ इस प्रकार है:

- M stands for Moral and Ethical (नैतिक और सदाचारी मूल्य)
- A stands for Accountability (जवाबदेही)
- N stands for National Sovereignty (राष्ट्रीय संप्रभुता)
- A stands for Accessibility (सुलभता)
- V stands for Validate and Legitimate (सत्यापन और वैधता)

डॉ धनपत राम अग्रवाल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय दृष्टिकोण विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान युग ए.आई. का युग है, और इसमें भारत

को अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। उन्होंने वैश्विक ए.आई. इकोसिस्टम की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए बताया कि:

- चीन सिलिकॉन (सिलिकॉन वेफर्स) का प्रमुख उत्पादक है।
- ताइवान विश्व के लगभग 80 प्रतिशत चिप्स (सेमीकंडक्टर चिप्स) का निर्माण करता है, जो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है।
- अमेरिका ए.आई. के डिजाइनिंग, एल्गोरिदम और जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) में अग्रणी है, जो ए.आई. मॉडल ट्रेनिंग के लिए महत्वपूर्ण है।
- क्लाउड कंप्यूटिंग में भी अमेरिका का दबदबा है, और कई देश (यहाँ तक कि चीन भी) ए.आई. के लिए अमेरिकी क्लाउड सेवाओं पर निर्भर हैं।

लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तत्व 'मानव प्रतिभा' पर जोर दिया। ए.आई. की असली ताकत हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से नहीं, बल्कि युवा प्रतिभा, नवाचार और रचनात्मकता से आती है और भारत में यह ह्यूमन टैलेंट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, हमारे युवा, इंजीनियर और वैज्ञानिक दुनिया भर में ए.आई. क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

ए.आई. को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ जोड़कर, हम न केवल तकनीकी रूप से मजबूत होंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर नैतिक और संतुलित ए.आई. विकास में योगदान दे सकेंगे। इसके पश्चात सत्र में खुली चर्चा को आमंत्रित किया गया जिसमें अनेक बंधुओं ने भाग लिया और अपने सुझाव विचार रखे।

सत्र के अंत में अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख माननीय स्वांत रंजन जी ने संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ अपने निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करेगा, परंतु अभी यह यात्रा पूर्ण नहीं हुई है। इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखते हुए कार्य करना होगा। इस दिशा में विजयादशमी कार्यक्रम, घर-घर संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलन, सामाजिक समरसता गोष्ठियाँ, प्रबुद्ध नागरिक संगोष्ठियाँ, युवाओं के कार्यक्रम तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

सत्र का संचालन अखिल भारतीय पर्यावरण प्रमुख श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने किया।

चतुर्थ सत्र

चतुर्थ सत्र में स्वदेशी जागरण मंच के विभिन्न आयामों

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भारतीय दृष्टिकोण

पूरी दुनिया एआई के असर से हिल गई है। इस मुद्दे पर बहुत मंथन हो रहा है, क्योंकि एक तरफ एआई जिंदगी को आसान बना रहा है, फैसेले लेने की रफ्तार तेज़ कर रहा है, व्यवसाय विश्लेषण को ज़्यादा सटीक बना रहा है, मेडिकल डायग्नोसिस को बेहतर और किफायती बना रहा है, ज़्यादा डिजिटल उत्पाद बनाना मुमकिन बना रहा है, एक नई इकॉनमी को बढ़ावा दे रहा है, जिसे आम तौर पर 'ऑरेंज इकॉनमी' कहा जाता है, वहीं हमारी आबादी पर भारी बेरोज़गारी का खतरा मंडरा रहा है, जो पहले से ही हमारे युवाओं के लिए रोज़गार के मौकों की कमी से जूझ रही है। इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या वह केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपभोक्ता बना रहेगा, या अपनी स्वदेशी तकनीकी क्षमता और नवाचार के आधार पर इस क्षेत्र में एक अग्रणी भूमिका निभाये। जबकि, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले औद्योगिक क्रांति जैसे प्रौद्योगिकीय बदलाव को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, लेकिन एआई टूल और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बड़ी कंपनियों के पास होने के साथ, डेटा, जो इन एआई बड़ी कंपनियों को मजबूत बना रहा है, वह सब हमारे जैसे विकासशील देशों से मिल रहा है। ऐसे में हम डिजिटल उपनिवेशीकरण के मूक दर्शक बने नहीं रह सकते। यही नहीं एआई बड़े कारपोरेट और विदेशी कंपनियों के अधिपत्य में होने के कारण पक्षपातपूर्ण जानकारी का स्रोत बन रहा है। निजी डेटा भी कंपनियों को स्थानांतरित हो रहा है। बच्चों को पूर्व में जिन मानवीय मूल्यों की शिक्षा माता-पिता से मिलती रही, वो अब एआई के माध्यम से मिल रही है, जिससे उनके दिग्भ्रमित होने का खतरा बढ़ रहा है। एआई एक प्रकार से गलत जानकारियां भी देने का एजेंट बन रहा है। अबोध बच्चों की सुरक्षा भी इसके कारण खतरे में पड़ रही है।

हालांकि, एआई टूल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का नियंत्रण बना हुआ है, भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के निर्माण और बड़े पैमाने पर पहचान-प्रमाणीकरण में एआई/डेटा तकनीकों के उपयोग में विश्व स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाई है। जैम ट्रिनिटी, यानी जन धन बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल बैंकिंग की मदद से, सरकार कल्याणकारी योजनाओं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), गरीबों के लिए घर और कई दूसरी योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद कर रही है, और भ्रष्टाचार को लगभग खत्म करने और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने में सफल रही है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहित कई क्षेत्रों में एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

भारत की स्थिति विशिष्ट है क्योंकि उसके पास एआई विकास के लिए तीन ऐसे मूलभूत संसाधन उपलब्ध हैं जो विश्व के बहुत कम देशों के पास एक साथ मौजूद हैं— 1. विशाल बौद्धिक क्षमता और तकनीकी प्रतिभा, 2. डेटा की व्यापक और विविध संरचना, 3. और एक विकसित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई)। इन तीनों संसाधनों के उपयुक्त संयोजन से ही भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक स्वदेशी और समावेशी मॉडल विकसित कर सकता है।

रोज़गार एआई का एक बड़ा शिकार है; और सभी क्षेत्रों में नौकरियों का सफाया एक सच्चाई बन चुकी है। मीडिया, मनोरंजन, कॉल सेंटर और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र भी एआई का असर झेलने लगा है। बड़ी फैंक्ट्रियों एआई समर्थित कंप्यूटर प्रोग्रामों की मदद से सामान बनाती हैं, जिससे भारी बेरोज़गारी हो रही है। समाज में यह डर पैदा हो रहा है कि भविष्य में और भी बड़ी नौकरियाँ जा सकती हैं।

भारत सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भी बताया गया है कि भारत के आकार और प्रति व्यक्ति आय उसके मुकाबले कम होने की वजह से, भारतीय श्रम बाज़ार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का असर ज़्यादा होगा। इसमें चेतावनी दी गई है कि कंपनियों द्वारा एआई को बिना सोचे-समझे अपनाने से सभी की हालत खराब हो जाएगी और देश के ग्रोथ क्षमता को नुकसान होगा। सर्वेक्षण में कहा गया है, "सरकार को श्रम के उपयोग को टेक्नोलॉजी से बदलने से होने वाले मुनाफे पर टैक्स लगाना होगा।"

चूँकि स्वामित्व की दृष्टि से एआई पर अमरीका और चीन का दबदबा है, इसलिए ज़्यादातर उपयोगकर्ता तो भारत समेत विकासशील देश हैं, साथ ही वे इन एआई प्लेटफॉर्म द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे डेटा का स्रोत भी हैं। हमारे जैसे देश, विदेशी मालिकाना हक वाले एआई प्लेटफॉर्म पर निर्भर बने हुए हैं। इस इस प्रक्रिया में विकासशील देश डेटा संप्रभुता भी खो रहे हैं। इन टेक दिग्गजों के मालिकाना हक वाले एआई के दबदबे की वजह से छोटे खिलाड़ी, जिनमें छोटे और कुटीर उद्योग, सेवा एंटरप्राइज़ और कर्मी शामिल हैं, नुकसान में हैं। हम नीति बनाने में बड़ी टेक कंपनियों का अनुचित असर भी देखते हैं।

अपनी कमियों के बावजूद, एआई के लाभों को देखते हुए, नीति निर्माताओं के सामने चुनौती यह है कि एआई कैसे समानता के साथ मानवता की सेवा कर सकता है। इसके लिए देश में एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आम लोगों के लिए, समानता के आधार पर एआई तकनीकों का विकास और उपयोग सुगम बनाया जा सके। डेटा के निर्बाध प्रवाह को सुगम बनाने के लिए, हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, एआई विकास की पहली पूर्व शर्त है। अच्छी खबर यह है कि संचार क्रांति के कारण, भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है। स्वदेशी 4-जी नेटवर्क लगभग पूरे देश में विस्तारित किया गया है और देश ने अपना स्वदेशी 5-जीआई नेटवर्क भी विकसित कर लिया है। भारत को सबसे सस्ते डेटा की भूमि होने का गौरव भी प्राप्त है। फिर देश को डेटा की गुणवत्ता, सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने, संसाधित करने और साझा करने के लिए मजबूत डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है, एआई की बिना रुकावट ग्रोथ के लिए यह एक और तरह का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। देश को स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत है, जो केवल विदेशी तकनीकों पर निर्भर न हों, बल्कि देश के डेटा, भाषाओं, आवश्यकताओं और सुरक्षा हितों के अनुरूप एआई के विकास, तैनाती और प्रबंधन के लिए स्वदेशी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएँ।

साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एआई के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ज़रूरी हिस्सा है। एआई सिस्टम, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर खतरों और हमलों से बचाने के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। आखिर में, लेकिन सबसे ज़रूरी, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आज की ज़रूरत है, ताकि नागरिकों, व्यवसायों और सरकारों को एआई, इसके उपयोग और इसके फायदों के बारे में बताया जा सके।

हमें यह समझना होगा कि एआई को बढ़ावा देना और समाज और अर्थव्यवस्था के फायदे के लिए इसके फायदों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और इसके लिए सही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) बनाना होगा, साथ ही हमें इसे सही सरकारी पॉलिसी के ज़रिए रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है ताकि हम स्वस्थ एआई को बढ़ावा दे सकें। इसलिए, हमें विकास और विनियमन की दोहरी नीति अपनानी होगी, ताकि एआई का लोकतांत्रिकीकरण हो सके और वो सबके लिए समानता के साथ उपलब्ध हो सबके भले के लिए काम करे।

भारत में आत्मनिर्भर एआई के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए आवश्यक उपकरणों जैसे – सेमी कंडक्टर, चिप डिजाइन, डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा एकीकरण, शिक्षा और कौशल विकास आदि उपायों को शीघ्रता से अपनाया जाये। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लोकतंत्रीकरण होना ज़रूरी है जिसका मतलब है कि एआई तकनीक केवल बड़ी कंपनियों या शक्तिशाली संस्थाओं तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के हर वर्ग तक पहुँचे ताकि किसान और विद्यार्थी भी तथा अन्य सभी साधारण लोग इसका लाभ उठा सकें।

के कार्यवृत्त हुए। डॉ प्रदीप चौहान ने स्वदेशी शोध संस्थान के कार्यों पर प्रकाश डाला। श्री साकेत राठौड़ ने स्वर्णिम भारत वर्ष फाउंडेशन से जुड़े विभिन्न कार्यों की जानकारी दी। मेला प्रमुख श्री शचिन्द्र बरियार ने स्वदेशी मेला के महत्व और उसके आयोजन की रूपरेखा पर अपने विचार प्रस्तुत किए। श्री राधेश्याम चोयल ने mysba.co.in पोर्टल के माध्यम से चल रहे कार्यों की जानकारी दी।

डॉ. अश्वनी महाजन ने विकास का भारतीय प्रतिमान विषय पर विस्तृत उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमान वैश्विक विकास मॉडल, जिसमें जीडीपी ग्रोथ को ही देश के विकास का प्रमुख मानक माना जाता है, भारत ने भी काफी हद तक स्वीकार कर लिया है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मॉडल मूल रूप से गलत है। दत्तोपंत टेंगड़ी जी ने भी यही बात कही थी कि जीडीपी का बढ़ना विकास का सही मापदंड नहीं हो सकता। जीडीपी ग्रोथ को विकास का एकमात्र पैमाना मानना भ्रामक है, क्योंकि यह असमानता, पर्यावरण क्षरण और मानवीय मूल्यों की अनदेखी करता है। विकास की अवधारणा पर गहन विचार करने की आवश्यकता है।

2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की कल्पना केवल पुरानी अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में त्याग की पूजा होती है – भामाशाह जी त्याग की जीवंत प्रतिमूर्ति थे। भारतीय दर्शन में भौतिक उन्नति के साथ आध्यात्मिक उन्नति को भी समान महत्व दिया जाता है। प्राचीन भारत का वैभव यही था – भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर संतुलन।

आज की स्थिति में हमें यह देखना है कि विकास के नाम पर गरीबी भी बढ़ रही है। इसलिए निराकरण की दिशा में योजनाएँ बनानी होंगी जो सबका पेट भरे, सब खुश रहें, और मुफ्त सेवाओं के साथ-साथ आत्मनिर्भरता, नैतिकता तथा पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दें। विकास को जीडीपी-केंद्रित नहीं, बल्कि मानव-केंद्रित, धर्म-आधारित, पर्यावरण-सुरक्षित और समावेशी होने के लिए आग्रह किया, ताकि भारत सच्चे अर्थों में विकसित और सुखी राष्ट्र बने।

सत्र का संचालन मध्य क्षेत्र संगठक एवं त्रि क्षेत्रीय युवा कार्य प्रमुख श्री केशव दुबोलिया जी ने किया।

पंचम सत्र

यह सत्र क्षेत्रशः बैठकों का रहा जिसमें प्रान्तों ने अपनी आगामी योजना पर चर्चा की। केन्द्रीय अधिकारी क्षेत्रों की बैठक में उपस्थित हुए। बैठक के विषय बिन्दुओं में पूर्णकालिक कार्यकर्ता एवं जिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति, महिला युवा, वरिष्ठ नागरिक, पर्यावरण आयाम, प्रान्तीय विचार वर्ग, निधि संग्रह अभियान, जिला स्तर संगठन विस्तार योजना आदि



विषयों पर योजना बनी। प्रांत स्तरीय नवीन दायित्वों की घोषणा इसी सत्र में हुई।

दक्षिण एवं दक्षिण मध्य क्षेत्र में श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', पश्चिम क्षेत्र में श्री जितेन्द्र गुप्त, मध्य क्षेत्र में श्री सतीश कुमार, राजस्थान क्षेत्र में श्री बलराम नन्दवानी, उत्तर क्षेत्र में डॉ अश्वनी महाजन, पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में डॉ राजीव कुमार, बिहार-झारखंड क्षेत्र में डॉ धनपत राम अग्रवाल, पूर्वी क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में श्री अनन्दा शंकर उपस्थित रहे। बैठकों का संचालन क्षेत्र संयोजकों द्वारा किया गया।

विविध संगठन, अन्य संगठन, विविध आयाम प्रमुख, स्वदेशी शोध संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अलग से बैठक हुई, जिसमें श्री आर. सुन्दरम, श्री कश्मीरी लाल, डॉ भगवती प्रकाश शर्मा उपस्थित रहे। बैठक का संचालन श्री सतीश चावला ने किया।

षष्ठम सत्र

इस सत्र में अनेक विषयों पर चर्चा हुई। सर्वप्रथम स्वावलंबी भारत अभियान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तर क्षेत्र संयोजक डॉ राजेश गोयल ने जिला स्वावलंबन केन्द्रों को संचालित करने, जिलों में संचालित विभिन्न स्वावलंबन के कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की एवं सुझाव लिये।

20 मार्च से 10 अप्रैल तक देशभर में चलने वाले निधि संग्रह अभियान के विषय में श्री सतीश चावला ने चर्चा करते हुए बताया कि किस प्रकार अपना यह अभियान पेपर लैस एवं कैश लैस रहेगा। अलग-अलग तरह के दानदाताओं की सूचियां बनाकर टोलियों में कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए।

पर्यावरण एवं भूमि सुपोषण अभियान के सम्बन्ध में श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' ने बताया कि औद्योगिक क्रांति के बाद धरती का तापमान निरन्तर बढ़ रहा है, जो अत्यंत खतरनाक संकेत है। अगले सौ वर्षों में मानवता का अस्तित्व ही संकट में पड़ सकता है – यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है।



स्वदेशी शोध संस्थान एवं समृद्ध एवं महान भारत विषय पर स्वदेशी शोध संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष **प्रो. सोमनाथ सचदेवा** ने शोध संस्थान द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में जानकारी दी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर बिहार-झारखंड क्षेत्र के संगठक श्री अजय उपाध्याय ने गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं को अपने गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

सत्र का संचालन दक्षिण मध्य क्षेत्र संयोजक **श्री लिंगामूर्ति** ने किया।

सप्तम सत्र

यह सत्र भी अनेक विषयों पर चर्चा का रहा। **डॉ. राजीव कुमार** ने आगामी वर्ष के कार्यक्रमों का पंचांग प्रस्तुत किया। 19 मार्च स्वदेशी नववर्ष कार्यक्रम से लेकर 12 जनवरी 2027 युवा दिवस (स्वामी विवेकानंद जयंती) तक के कार्यक्रमों का वर्ष भर के कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया। सभी क्षेत्रों को भी अपने-अपने क्षेत्र अनुसार कार्यक्रम पंचांग बनाने का आग्रह किया।

श्री केशव दुबोलिया ने देशभर में युवा कार्य को गति देने एवं जिला स्तर तक युवा प्रमुखों की नियुक्ति करने का आह्वान किया।

श्रीमती अर्चना मीना ने देशभर में महिला कार्य की प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने देशभर में महिला इकाइयों द्वारा किये जा रहे नवीन प्रयोगों की जानकारी दी।

संगठन कार्य विस्तार एवं पूर्णकालिक योजना **श्री सतीश कुमार** ने संगठन के विस्तार और कार्य-योजना पर निम्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन दिया- जिलों की संरचना, संगठन का विस्तार नगर, खंड, बस्ती और ग्राम स्तर तक किया जाए, प्रत्येक जिले में टीम-11 की इकाई का गठन किया जाए। स्वदेशी जागरण मंच, स्वावलंबी भारत अभियान की सभी की ग्राम इकाइयाँ बनें, इस दिशा में कार्य करना होगा। दायित्व

द देने के पश्चात जिले के अनुसार विचार वर्ग या जिला सम्मेलन आयोजित किए जाएँ। कार्यक्रम केवल औपचारिक (बमतमउवदपंस) न हों, बल्कि उद्देश्यपूर्ण हों।

सत्र का संचालन श्रीमती सुनीता भरतवाल ने किया।

अष्टम सत्र (समारोप सत्र)

समारोप सत्र का आरम्भ वन्देमातरम् से हुआ।

सर्वप्रथम व्यवस्था प्रमुख श्री लोकेंद्र नरुका ने इस अवसर पर व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों का परिचय कराया। देश भर से राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आए विभिन्न प्रांतों के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपना सहयोग करने वाली पूरी टीम को मंच पर आमंत्रित कर उनके योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री कश्मीरी लाल ने नए दायित्वों की घोषणाएँ कीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निधि संग्रह अभियान एवं भूमि सुपोषण जैसे आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए प्रेरित किया तथा इन अभियानों की योजनाओं को सुदृढ़ बनाने पर भी चर्चा की। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने-अपने प्रांतों में खण्ड स्तर तक कार्य विस्तार करें, जिला स्तर पर प्रशिक्षकों के नाम तय कर विचार वर्गों के आयोजन की तैयारियाँ शीघ्र प्रारंभ करें। अंत में शुभकामनाएँ देते हुए उन्होंने अपने समापन उद्बोधन को समाप्त किया।

नवीन दायित्व

अखिल भारतीय

1. डॉ. राजीव कुमार (मुरादाबाद, उ.प्र.) – अ.भा. सह-संयोजक (पूर्व-अ.भा. विचार विभाग प्रमुख)
2. श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप' (दिल्ली) – अ.भा. विचार विभाग प्रमुख (पर्यावरण प्रमुख के साथ)
3. श्री अन्नदा शंकर पाणिग्रही (केंद्र गुवाहाटी) – अ.भा. संपर्क प्रमुख तथा दो क्षेत्र व आंध्र प्रदेश प्रभारी (पूर्व में अ.भा. संघर्षवाहिनी प्रमुख थे।)
4. डॉ. राजेश गोयल (पंचकूला) – अ.भा. सह-समन्वयक, स्वावलंबी भारत अभियान
5. श्रीमती सुनीता भरतवाल (भिवानी, हरियाणा) – अ.भा. सह महिला प्रमुख
6. श्री राधेश्याम चोयल (अजमेर, राज.) – उलेइण्बवण्पद (स्वावलंबी भारत अभियान-डिजिटल) प्रमुख
7. श्री राजकुमार चतुर्वेदी (भीलवाड़ा, राज.) – जनसांख्यिकी लाभांश प्रमुख
8. श्री केशव दुबोलिया (भोपाल, म.प्र.) – मध्य व पश्चिम

- क्षेत्र संगठक तथा युवा आयाम सदस्य
- श्री अनुपम श्रीवास्तव (लखनऊ, उ.प्र.) – पूर्वी व पश्चिम उ.प्र. क्षेत्र संयोजक

क्षेत्रीय

दक्षिण-मध्य क्षेत्र

- श्री वी. साई प्रसाद – क्षेत्र विचार विभाग प्रमुख (तेलंगाना)
- श्री विजय कृष्ण – सह-क्षेत्र विचार विभाग प्रमुख (तेलंगाना)
- श्री पी. साईनाथ – क्षेत्र वरिष्ठ नागरिक आयाम प्रमुख (तेलंगाना)

पश्चिम क्षेत्र

- श्री ईश्वर सज्जन (गुजरात) – सह-क्षेत्र संयोजक

मध्य क्षेत्र

- श्री अरुणेश्वर शर्मा (सीहोर, म.प्र.) – क्षेत्रीय विचार विभाग प्रमुख

राजस्थान क्षेत्र

- श्री लोकेन्द्र (जयपुर) – क्षेत्र समन्वयक

उत्तर क्षेत्र

- श्री सतेन्द्र सरौत (फरीदाबाद, हरियाणा) – क्षेत्र संयोजक

पश्चिमी उत्तर प्रदेश

- श्री कपिल नारंग (मुरादाबाद) – क्षेत्र सह-संयोजक
- श्री कुलदीप सिंह (मुरादाबाद) – क्षेत्र समन्वयक
- श्री विकास चौधरी (दिल्ली) – विशेष संपर्क प्रमुख (उत्तर व पश्चिम क्षेत्र)

पूर्वी क्षेत्र

- श्री रमाकांत पात्रा – क्षेत्र विचार विभाग प्रमुख
- डॉ. दीपक शर्मा – सह-विचार विभाग प्रमुख
- श्री प्रसन छोटेरे – प्रचार प्रमुख
- श्री शिरीष खरे – सह-प्रचार प्रमुख

असम क्षेत्र

- प्रो. डब्ल्यू.सी. सिंह (मणिपुर) – क्षेत्र संयोजक (असम)
- श्री अमल वैश्य (नलवाड़ी, असम) – क्षेत्र सह-संयोजक (असम)
- श्री सी.ए. रतन दास (अगरतला) – क्षेत्र संपर्क प्रमुख (त्रिपुरा)
- श्री पार्थ प्रतिम पाठक (गुवाहाटी) – क्षेत्र सह समन्वयक (उत्तर असम)

आयाम

व्यापारी जुटान

- श्री जितेंद्र गुप्त (भोपाल, म.प्र.) – प्रमुख (पूर्व दायित्व भी रहेंगे।)
- श्री बी.सी. भारतीया (नागपूर) – सह प्रमुख
- श्री संदीप बंसल (लखनऊ) – सह प्रमुख

- श्री मनोहर शरण (केंद्र हैदराबाद) – सह प्रमुख (दक्षिण, दक्षिण मध्य व असम क्षेत्र)
- श्री धर्मेन्द्र शर्मा (नोएडा, उ.प्र.) – सह प्रमुख
- सीए हरीश चौधरी (दिल्ली) – केंद्रीय टोली सदस्य
- श्री राकेश द्विवेदी (मध्य प्रदेश प्रभारी) – कार्यालय मंत्री

स्वदेशी वित्त सलाहकार परिषद

- श्री बलराम नंदवानी – प्रभारी
- श्री अर्पित मित्तल – सचिव
- श्री किशोर – सह सचिव
- श्री जतिन टेहरी – संगठन सचिव

भारतीय एक्सपोर्टर फोरम

- श्री राजीव सेतिया (गुरुग्राम) – संरक्षक
- श्री अनिल वर्मा – केंद्रीय टोली सदस्य
- श्री लक्ष्मण भवसिंहका – केंद्रीय टोली सदस्य (केंद्र दिल्ली)
- श्री विद्या सागर – केंद्रीय टोली सदस्य
- श्री अंबर अग्रवाल – केंद्रीय टोली सदस्य
- श्री प्रीमत बैनर्जी – मुख्य सलाहकार

केंद्रीय कार्यालय (स्वदेशी जागरण मंच)

- डॉ. सुरेन्द्र (दिल्ली) – केंद्रीय कार्यालय प्रमुख
- श्री अभयराम – सह-कार्यालय प्रमुख
- श्री महेंद्र वर्थवाल – सह-कार्यालय प्रमुख (फाउंडेशन के प्रमुख भी),
- श्री अमित चतुर्वेदी – कार्यालय टोली सदस्य (दिल्ली प्रांत कार्यालय प्रमुख भी),
- श्री अमित रायकवार – कार्यालय टोली सदस्य

स्वदेशी शोध संस्थान

- प्रो. दीपक शर्मा – केंद्रीय टीम सदस्य
- प्रो. चांद बाबू – केंद्रीय टीम सदस्य

प्रांतीय

दिल्ली

- श्री बलराज सिंह – पुराने कार्यकर्ता संपर्क प्रमुख (दिल्ली प्रांत)

तेलंगाना

- श्री श्रीनिवासुला रेड्डी (हैदराबाद) – प्रांत सह-संयोजक

आंध्र प्रदेश

- श्री राजेश – प्रांत संयोजक
- डॉ. शेषागिरी – प्रांत सह-संयोजक
- श्रीमति पावनी – प्रांत महिला प्रमुख
- श्री राचा श्रीनिवास – प्रांत संगठक

ब्रज प्रांत

- श्री मनोज अग्रवाल – प्रांत संयोजक
- श्रीमति सावित्री शर्मा – प्रांत सह-महिला प्रमुख



3. श्री अभिनव कश्यप – प्रांत सह-समन्वयक
मेरठ

1. श्री प्रशांत महर्षि – प्रांत संयोजक

2. श्री सुधांशु विश्णोई – प्रांत सह-संयोजक
गोरक्ष

1. श्रीमति बिन्नी – प्रांत महिला सह-समन्वयक
अवध

1. श्री रामकुमार दीक्षित – प्रांत सह-समन्वयक

2. श्री राहुल सिंह – प्रांत सह-समन्वयक
कानपुर

1. श्री प्रवीण अग्निहोत्री – प्रांत सह-समन्वयक

2. श्रीमति उर्मिला – प्रांत महिला सह-प्रमुख
उत्तर बिहार

1. श्रीमति संगीता झा – प्रांत महिला प्रमुख
झारखंड

1. श्रीमति नीतू सिन्हा – प्रांत महिला सह-प्रमुख
ओडिशा पूर्व

1. श्री ए. श्रीनिवास राव – प्रांत संयोजक

2. श्री प्रशांत भूयान – प्रांत सह-संयोजक

3. श्री आदित्य महापात्र – प्रांत सह-संयोजक

4. सुश्री दीप्ति रेखा मिश्रा – प्रांत महिला प्रमुख

5. सुश्री प्रियदर्शिनी पाणि – प्रांत महिला सह-प्रमुख

6. श्री विजय राऊत्रे – प्रांत समन्वयक

7. श्री प्रबोध बदापंडा – प्रांत सह-समन्वयक
ओडिशा पश्चिम

1. श्री मनोरंजन राऊत्रे – प्रांत संयोजक

2. श्री भीमसेन नायक – प्रांत सह-संयोजक

3. सुश्री भारती पांडा – प्रांत महिला प्रमुख

उत्तर बंगाल

1. श्री सुदीन लामा – प्रांत संयोजक

मध्य बंगाल

1. डॉ. जयदीप बनर्जी – प्रांत संयोजक

दक्षिण बंगाल

1. श्री उत्तम हुई – प्रांत संयोजक

2. श्री तीर्थदीप चटर्जी – प्रांत सह-संयोजक

3. इप्सिता चटर्जी – प्रांत महिला प्रमुख

मणिपुर

1. श्री रोशनी कुमार सिंह – प्रांत संयोजक

2. डा. राजेश सिंह – प्रांत सह-संयोजक

3. डा. किशोरजीत सिंह – प्रांत समन्वयक

4. डा. विनोता थोकचोम – प्रांत महिला प्रमुख

श्री आर. सुंदरम ने इस बैठक को अत्यंत सार्थक और भव्य बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान क्षेत्र के बड़े-बड़े उद्योगपति न केवल देश में बल्कि विश्वभर में अपने व्यापार और उद्योगों के माध्यम से भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके नगर चेन्नई तथा हैदराबाद में कई बाजार पर राजस्थान के उद्योगपतियों का वर्चस्व है, जहाँ उनके द्वारा बनाए गए सस्ते, अच्छे और पारंपरिक उत्पाद अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि अनुकूल वातावरण के चलते स्वदेशी के कार्य को जन-जन तक लेकर जाना है तभी देश को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न साकार होगा।

समापन सत्र का संचालन **डॉ राजीव कुमार** ने किया।
राष्ट्रीय सभा का समापन राष्ट्र गान से हुआ। □□

स्वदेशी जागरण मंच के आर्थिक समूह की बैठक संपन्न



स्वदेशी जागरण मंच के आर्थिक समूह की दो दिवसीय चिंतन बैठक में अर्थायाम के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। देश की राजधानी दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित स्वदेशी शोध संस्थान के सभागार में कुल नौ सत्रों में आयोजित दो दिवसीय बैठक के सात सत्रों में चर्चा परिचर्चा भी की गई। इस दौरान कौशल विकास और उद्यमिता विकास, स्वावलंबी भारत अभियान, कृषि विकास, ग्रामीण रोजगार, विकेंद्रित विकास, एआई, सहकारिता, वित्तीय परिस्थितिकी तंत्र, कुटीर उद्योग, हरित औद्योगिक विकास, वैश्विक वित्तीय सहयोग, विकास का दर्शन, सुगम चिकित्सा, सुगम शिक्षा, संस्कृति, नीति निर्धारण, अंतरराष्ट्रीय संबंध और श्रम कानून को लेकर व्यापक विमर्श किया गया।

बैठक के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, स्वदेशी जागरण मंच के अ.भा. संयोजक श्री आर. सुंदरम, डॉ. महेश चंद्र शर्मा, श्री कश्मीरी लाल, डॉ. धनपत राम अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर संगठन मंत्र के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने विशिष्ट अतिथियों के परिचय-सत्कार के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा और चर्चा किए जाने वाले विषयों की समग्र जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच 19-20 अगस्त 2025 को परम पूजनीय सरसंघचालक की उपस्थिति में पूसा संस्थान में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों को बुनियादी आधार मानते हुए विषयों को विस्तृत फलक पर ले जाने का हिमायती है। उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय बैठक के आरंभ में 17 विषय खोजे गए थे, लेकिन कुछ और विषयों को इसमें शामिल किया गया है।

उद्घाटन सत्र में अपनी बात रखते हुए डॉ. कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि भारत में लगभग साढ़े सात लाख गांव हैं। अर्थायाम की दृष्टि से अगर इनमें से 7000 गांव को चुनकर केंद्र बनाया जाए और प्रत्येक केंद्र से 100 गांव को जोड़ दिया जाए तो समग्र विकास का रास्ता खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि 45 प्रतिशत वर्ष का जल संरक्षण के अभाव में समुद्र में चला जाता है जबकि हमारे यहां अब भी 50 प्रतिशत भूमि अस्िचित है। उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल जी ने नारा दिया था 'हर हाथ को काम हर खेत को पानी' इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने मूल दर्शन को केंद्र में रखते हुए विभिन्न विषयों पर अलग-अलग समूह बनाकर काम करना चाहिए तथा एक निश्चित अंतराल पर समीक्षा भी होनी चाहिए।

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. जोशी ने कहा कि भारत के समग्र विकास के लिए एकात्मक मानववाद की दृष्टि होनी चाहिए। दुनिया भर में विज्ञानवाद और वैज्ञानिक तर्कवाद दुनिया को टुकड़े में बताकर देखा है लेकिन हमारी भारतीय चित्ति में सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम शरीर में चेतना को भी महत्वपूर्ण मानने वाले लोग हैं, इसलिए भी हमें खंड दृष्टि की तुलना में एकात्मक दृष्टि को अंगीकार करना होगा।

उद्घाटन सत्र में डॉ. कृष्ण गोपाल जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, श्री आर सुंदरम, श्री कश्मीरी लाल, श्री महेश चंद्र शर्मा, डॉ. धनपतराम अग्रवाल, श्री सतीश कुमार के साथ-साथ श्री सज्जी नारायण, श्री ब्रजेश उपाध्याय, डॉ. सोमनाथ सचदेवा, श्री रंगदेव भारती, श्री मधुसूदन, श्री ओमप्रकाश गुप्ता, सीए अनिल शर्मा, श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', श्री बी.के. भरतिया, श्री प्रीतम बनर्जी, डॉ. प्रदीप चौहान, डॉ. रणजीत सिंह, श्री कुलदीप रत्नू, श्री ओपी चौधरी, श्री जितेंद्र बजाज, अर्चना सिंह, श्री एमके अग्रवाल, डॉ. लिंगामूर्ति, श्री नरेश सिरोही, श्री योगेश मेहता, अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति धींगड़ा जी, प्रो. गिरीश त्रिपाठी, श्री गोपा कुमार, श्री तुलसी तावड़े, श्री यतीश राजावत, श्री वीरेंद्र कुमार, श्री पुनीत सूद, श्री राकेश पंडित, श्री ओंकार तिवारी, श्री प्रशांत गुप्त, श्री मधुर महाजन, अर्चना मीना, श्री अतुल जैन आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए।

कुल 9 सत्रों में हुई दो दिवसीय बैठक के दौरान स्वदेशी जागरण मंच के मूल दर्शन को केंद्र में रखते हुए समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना के साथ समूह निर्मित करने, करणीय कार्य को आगे बढ़ाने तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा करने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के चिंतन को आगे कर भारत को दुनिया में एक अति विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया।

स्वदेशी की ताकत से बनेंगे आत्मनिर्भर: मुख्यमंत्री



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वदेशी हमारी संस्कृति और सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। स्वदेशी की ताकत से भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ ही विश्व की महाशक्ति बनेगा। मुख्यमंत्री जगतपुरा में स्वदेशी जागरण मंच के उद्यमी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन भारत की आत्मा में हजारों वर्षों से समाए हुए है। सदियों पहले जब यूरोपीय देश व्यापार के लिए दुनिया में भटक रहे थे, तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का रेशम और राजस्थान की लहरिया – बंधेज विश्व बाजारों में अपनी अलग पहचान बनाए हुए थे। राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'पंच गौरव' कार्यक्रम लागू कर रही है। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम, राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय महिला प्रमुख अर्चना मीणा तथा आरएसएस जयपुर प्रांत के संघचालक महेंद्र सिंह मग्गो सहित कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे।

डिजिटल वस्तुओं पर सीमा शुल्क रोक खत्म हो: स्वदेशी जागरण मंच

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने डिजिटल उत्पादों की इलेक्ट्रॉनिक आवाजाही (ई-ट्रांसमिशन) पर सीमा शुल्क लगाने पर लगी रोक को खत्म करने की मांग की है। मंच का कहना है कि यह रोक आत्मनिर्भरता के प्रयासों को कमजोर कर रही है, राजस्व का नुकसान पहुंचा रही है और कृत्रिम मेधा (एआई) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर कर लगाने की देश की क्षमता को सीमित कर रही है। मंच ने इस रोक को खत्म करने की मांग मार्च के अंतिम सप्ताह में होने वाली विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले की है। इस बैठक में ई-कॉमर्स पर लगी इस



रोक को बढ़ाने पर फैंसला किए जाने की उम्मीद है। डिजिटल उत्पादों की इलेक्ट्रॉनिक आवाजाही का अर्थ सॉफ्टवेयर, संगीत, वीडियो या ई-बुक्स जैसे उत्पादों की ऑनलाइन आपूर्ति से है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा कि डिजिटल आयात पर शुल्क मुक्त व्यवस्था घरेलू उत्पादन को हतोत्साहित करके 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को कमजोर कर रही है। उन्होंने एक बयान में कहा, "हमारे स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर कंपनियों विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने में सक्षम हैं। वे घरेलू स्तर पर फिल्में और अन्य मनोरंजन उत्पाद बना सकते हैं, लेकिन यदि ऐसे सभी उत्पादों का बिना किसी बाधा और बिना शुल्क के आयात किया जाता है, तो उन्हें स्वदेशी रूप से बनाने के लिए प्रोत्साहन कम हो जाता है।" उन्होंने आगे कहा, "ई-उत्पादों पर शुल्क की यह रोक वास्तव में 'आत्मनिर्भर भारत' के हमारे प्रयासों को खत्म कर रही है, जिससे अमेरिका, यूरोपीय देशों और चीन को फायदा हो रहा है।"

महाजन ने कहा कि यह रोक नए जमाने के डिजिटल क्षेत्रों, विशेष रूप से एआई पर कर लगाने की भारत की क्षमता को भी कम कर रही है, और इससे अमेरिका तथा चीन के एकाधिकार को और बढ़ावा मिल सकता है। महाजन ने कहा, "भविष्य में जीडीपी में एआई की हिस्सेदारी बहुत बड़ी होगी। इलेक्ट्रॉनिक आवाजाही पर सीमा शुल्क की रोक से राजस्व का भारी नुकसान होगा और इससे अमेरिका तथा चीन के एकाधिकार को और बढ़ावा मिल सकता है।" उन्होंने कहा, "यह मुद्दा अब केवल पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक आवाजाही तक सीमित नहीं रह गया है।"

एआई एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है और यदि एआई उत्पादों को बिना किसी सीमा शुल्क के भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, तो हम इन सेवाओं पर कर लगाने और उनके प्रभाव को विनियमित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर खो देंगे।" महाजन ने चेतावनी दी कि इसके रोजगार और नीति-निर्माण पर भी गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक आवाजाही

के माध्यम से डिजिटल उत्पादों को बिना सीमा शुल्क के भारतीय क्षेत्र में आने देते हैं, तो यह घरेलू उद्यमों, विशेष रूप से स्टार्टअप को प्रभावित करेगा।

<https://www.navodayatimes.in/news/business/swadeshi-jagran-manch-demanded-lifting-customs-duty-restrictions-electronic-e-transmission/289739/>

‘स्वदेशी से ही भारत फिर बनेगा सोने की चिड़िया’ : सतीश कुमार



स्वदेशी जागरण मंच और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से ऐशबाग रोड (लखनऊ) स्थित एक होटल में ‘स्वदेशी व्यापारी जुटान’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खुदरा व्यापारियों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह-संगठक श्री सतीश कुमार ने कहा कि स्वदेशी अपनाकर ही भारत पुनः ‘सोने की चिड़िया’ बन सकता है। उन्होंने व्यापारियों से अपनी सोच को व्यापक बनाने और निर्यात (एक्सपोर्ट) के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने खुदरा व्यापार के सामने आने वाली बाधाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट नीति की जरूरत है, ताकि स्थानीय खुदरा व्यापार सुरक्षित रह सके। संदीप बंसल ने ‘इंस्पेक्टर राज’ और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि अंग्रेजों के समय के पुराने कानूनों को खत्म कर व्यापारियों को स्वतंत्र माहौल मिलना चाहिए। सम्मेलन में महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी, अनुपम श्रीवास्तव, अमित सिंह और रिपन कंसल सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे।

स्वदेशी विचार को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प

7 मार्च को जयपुर के एक रिसोर्ट में स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद की दो दिवसीय बैठक सम्पन्न हुई।

भारत के 450 जिलों के 425 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्वदेशी विचार प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने के लिए देशव्यापी कार्यक्रम और अभियान की रूपरेखा पर चर्चा हुई।

एआई तकनीक के कारण से देश की आर्थिक उन्नति में होने वाले लाभ व खतरों के चर्चा के बावत देश के जाने-माने अर्थशास्त्री धनपत राय ने प्रतिनिधियों के समक्ष विषय का वर्णन किया तथा संघ के अ.भा. कार्यकारिणी सदस्य श्री वी. भगैया ने तकनीक को मनुष्य के दिमाग का नियंत्रक नहीं मानकर उसका मानव एवं प्रकृति के उत्थान में उपयोग हो इस विषय पर अपना व्याख्यान दिया एवं संघ के अ.भा. प्रचारक प्रमुख स्वातरंजन जी ने पंच परिवर्तन के विषयों को आचरण में उतारने का आह्वान किया।

क्षेत्र प्रचारक निबाराम ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्वदेशी की भावना को जन-जन तक पहुँचाने और स्थानीय उद्यमियों को सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से लगाई गई यह प्रदर्शनी जयपुरवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही।

इस परिषद बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के विभिन्न आयामों और देशव्यापी कार्यों को चित्रों व चार्ट्स के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी में युवाओं के लिए स्वदेशी संदेश वाली टी-शर्ट्स, आधुनिक लुक वाले खादी के शॉर्ट कुर्ते और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए विशेष ‘पिओ सा’ पेय मुख्य आकर्षण थे। विभिन्न स्टार्टअप्स और लघु उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले स्वदेशी उत्पाद अवलोकन और खरीद के लिए उपलब्ध रहे।

स्वजामंच के प्रतिनिधिमंडल ने की महामहिम से भेंट

स्वदेशी जागरण मंच के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल से लखनऊ लोक भवन में भेंट कर राज्य में उद्यमिता आयोग के गठन, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना सहित अनेक विषयों पर चर्चा की। स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉ. राजीव कुमार के नेतृत्व में अखिल भारतीय सह समन्वयक डॉ राजकुमार मित्तल, पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र संयोजक अनुपम श्रीवास्तव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र संयोजक डॉ. अमितेश अमित, अवध प्रान्त संयोजक अमित सिंह सहित 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल जी से भेंट कर 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा। डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि नई



शिक्षा नीति में चूकि उद्यमिता विषय को सभी स्कूल, कॉलेजों में अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया गया है इसलिए सरकार उद्यमिता विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर स्कूल कालेजों में उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना करें।

21 अगस्त को सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विश्व उद्यमिता दिवस के आयोजन, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों में स्वदेशी उत्पादों की खरीद को अनिवार्य करने एवं लघु एवं कुटीर उत्पादकों के उत्पादों को प्रोत्साहन देने हेतु सभी जिलों में स्वदेशी मेलों का आयोजन करने की मांग की। महामहिम ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार से चर्चा कर उनकी इस पहल में पूरा सहयोग करेगी।

कवियों ने रचनाओं से लोगों को होली के रंग में रंगा

स्वदेशी जागरण मंच की ओर से बुध बाजार (मुरादाबाद) स्थित एक होटल में स्वदेशी होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें कवियों ने अपनी रचनाओं से लोगों को होली के रंग में रंग दिया। मंच के पदाधिकारियों ने स्वदेशी भावना को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। कहा कि होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, भाईचारे और आत्मीयता का संदेश देने वाला उत्सव है। समारोह का मुख्य – आकर्षण हास्य-व्यंग्य काव्य पाठ रहा। सुप्रसिद्ध हास्य कवि फक्कड़ मुरादाबादी ने चुटीली शैली में शादी के पश्चात मित्रबर जब अपनी ससुराल पधारे, पूछने लगे वहां किसी से मनोरंजन का साधन प्यारे सुनाया। मनोज वर्मा 'मनु'ने होली पर होलियारो देखो दम भर कसर न रखना, रंगों का त्योहार है सुनाकर रंग भर दिया। संचालन प्रांत महिला प्रमुख अंजू त्रिपाठी व महानगर महिला प्रमुख नीलम जैन ने किया। बच्चों ने होली गीतों पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।

मंच के अखिल भारतीय विचार विभाग प्रमुख डॉ. राजीव कुमार के भारतीय वन अनुसंधान एवं शैक्षिक परिषद के सदस्य के रूप में नामित होने पर सभी ने उनका अभिनंदन किया। प्रांत संयोजक कपिल नारंग एवं विभाग संयोजक प्रशांत शर्मा को स्वदेशी में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

इस दौरान कुलदीप सिंह, एके अग्रवाल, जिला महिला प्रमुख पूनम चौहान, रेनू गुप्ता, मनोज गुप्ता, सतीश अरोरा, ओमवीर सिंह, रंजीत सिंह, अनुराग सिंह, जोगेंद्र पाल सिंह, श्यामवीर सिंह, नरेश अग्रवाल, संस्कार कत्याल, देशरत्न कत्याल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

स्वदेशी जागरण मंच ने मनाया हिंदू नव वर्ष 2083

स्वदेशी जागरण मंच द्वारा दिनांक 19 मार्च 2026 को पुरानी अनाज मंडी (गंगापुर सिटी) में हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हिन्दू नव वर्ष कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर राहगीरों को तिलक लगाकर, दुपट्टा पहनाकर और मिठाई खिलाकर नव वर्ष की सभी ने एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम के दौरान संपूर्ण वातावरण स्वदेशी संस्कृति और उत्साह के रंग में रंगा नजर आया।

मुख्य संयोजक श्री महेश गुप्ता सर्वेयर ने बताया कि भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत् 2083 की शुरुआत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की गयी। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को इसके महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया। मुख्य संयोजक ने कहा कि "आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है।" इसके साथ ही उन्होंने प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का जिक्र करते हुए बताया कि "पेड़ों में नई हरियाली का आगमन होता है।"

इस सांस्कृतिक उत्सव में शहर के अनेक प्रबुद्ध नागरिक और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में दीनदयाल गुप्ता मच्छीपुरा (अध्यक्ष अग्रवाल शिक्षण संस्थान), राधा मोहन गोयल (अध्यक्ष अग्रवाल कर्मचारी परिषद), महेश गुप्ता सर्वेयर, गोपाल बैराड़ा, रोहित गुप्ता, अरविंद गोयल, ओमप्रकाश पीएनबी, अनिल कुमार जैन, संतोष नारोली, मोहनलाल शर्मा, सुनील गर्ग, अमित तारु, कल्याण सेन, रमेश, प्रभु पटेल, घनश्याम गुप्ता, नमो मीणा, ऋषि गुप्ता आदि सदस्य उपस्थित रहे। सभी सदस्यों ने मिलकर भारतीय परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। □□

स्वदेशी गतिविधियां

स्वदेशी मेला

सचित्र झलक



नया नंगल, पंजाब



स्वदेशी मेला - लुधियाना (पंजाब)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15-16 मार्च 2026
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली-06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख



डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2024-26
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

राष्ट्रीय परिषद बैठक

7-8 मार्च, 2026 (जयपुर, राजस्थान)

सचित्र झलक



प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022 से प्रकाशित, संपादक: अजेय भारती